बिहार सरकार

BUDGET 2011

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्य–सह वित्त मंत्री, बिहार

का

बजट भाषण

2011 - 2012

25 फरवरी, 2011

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ ।

माननीय सदस्यगण, बिहार की जनता से ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने के बाद वर्त्तमान सरकार का यह पहला बजट है । **'न्याय के साथ विकास के मंत्र'** को लेकर पिछले 5 वर्षों में हमने समाज के सभी तबकों के विकास के लिए काम किया है। हमारी सरकार के कामों पर जनता ने अपनी सहमति की मुहर लगायी है। यह जीत किसी दल, व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि बिहार की जीत है। वर्ष 2011–12 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 22 मार्च, 2011 को बिहार अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। साथ ही यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। आगामी पाँच वर्षों में हम बिहार के विकास के लिए और अधिक समर्पित रहेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी बिहार देश का नेतृत्व करे।

भ्रष्टाचार के प्रति zero tolerance की नीति पर सरकार ने चलने का संकल्प लिया है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने अपनी सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर दी है। राज्य के सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों को भी (वर्ग चार छोड़कर) 28 फरवरी तक अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी है। विधायक निधि को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना** के नाम से एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसमें विधायकों की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। इसके लिए बजट में 664.58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समय सीमा के अन्दर प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए Right to Service Act लाया जा रहा है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान हमारी सरकार को कदम–कदम पर चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा है। एक ओर हमें विरासत में नितांत अशक्त ढ़ांचा मिला तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था की बदत्तर स्थिति, विकासहीनता, पलायन के कारण निराशाजनक

माहौल। प्रत्येक क्षेत्र में प्रारम्भ से प्रारम्भ (Begin from Beginning) करना पड़ा है। एक ओर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और उसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी भी वर्ष 2008 में शुरू हो गई, तो दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, स्टील, सिमेन्ट खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि ने आम आदमी को प्रभावित करने के साथ–साथ सभी निर्माण कार्यों की प्राक्कलित राशि को भी काफी बढ़ा दिया।

2007 से लेकर 2010 तक हम प्रतिवर्ष किसी न किसी प्रकार की आपदा का मुकाबला करते रहे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा। इस संकट में केन्द्र की अपेक्षित मदद नहीं मिल पायी। 2007 में बाढ़ से राज्य के 22 जिले और 2.5 करोड़ आबादी प्रभावित थी। राज्य सरकार ने 2156 करोड़ की सहायता मांगी। परन्तु केन्द्र से कोई सहायता नहीं मिल पायी। 2008 में कोशी नदी पर कुसहा के पास बाँध टूट गया। 5 जिले अप्रत्याशित बाढ़ से प्रभावित थे। 13 अन्य जिलें भी बाढ़ प्रभावित थे। प्रधान मंत्री ने कृपापूर्वक बिहार का दौराकर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर तत्काल 1 हजार करोड़ देने की घोषण की। राज्य सरकार ने 14,808 करोड़ का ज्ञापन दिया। परन्तु 1 हजार करोड़ के अतिरिक्त कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

2009 में 26 जिलें सूखाग्रस्त घोषित किए गए। 23,071.3 करोड़ की मांग के विरूद्ध मात्र 267.48 करोड़ की सहायता मिली और वह भी मार्च, 2010 में। पुनः वर्ष 2010 में राज्य के 28 जिले और फिर 10 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। राज्य सरकार ने 28 जिलों के लिए 5062.75 करोड़ तथा 10 सूखाग्रस्त जिलों के लिए 1510.70 करोड़ की सहायता माँगी। 5062.75 करोड़ के विरूद्ध मात्र 341.08 करोड़ रूपए की सहायता दी गयी। शेष 10 जिलों के लिए आजतक केन्द्रीय टीम बिहार का दौरा नहीं कर पायी। पिछले 4 वर्षों में लगातार बाढ़ और सूखे के लिए बिहार ने 46 हजार 607 करोड़ रूपए माँगे जिसके विरूद्ध मात्र 1608.56 करोड़ रूपए प्राप्त हुए।

इन अवरोधों के बावजूद विगत पाँच वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय विकास दर हासिल की है। वर्ष 2004–05 से 2010–11 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की **विकास दर** 10.43 प्रतिशत रही है। यह इसके पहले के पाँच वर्षों (1999–2000 से 2004–05) के विकास दर से काफी अधिक है। निर्माण, संचार, व्यापार/होटल/रेस्टोरेंट, बैकिंग/बीमा आदि क्षेत्रों में 15 प्रतिशत से ज्यादा विकास दर हासिल हुई है। 2010 के सूखे के बावजूद 2010–11 की विकास दर के अग्रिम अनुमान (Advance Estimate) के अनुसार यह आँकड़ा 10.49 प्रतिशत है।

इस उल्लेखनीय विकास दर का परिणाम है कि बिहार की **प्रति व्यक्ति** आय वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुसार 2004–05 में 8637 रूपये था जो 2007–08 में बढ़कर 12713 रूपये और 2009–10 में 17590 रूपये हो गया। वर्ष 2010–11 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 20351 रूपये है।

राज्य की वित्त व्यवस्था के प्रमुख सूचक पांच वर्षों के दौरान निरन्तर सुधार के संकेत देते हैं। राज्य सरकार की **राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय** की अपेक्षा अधिक तेज दर से बढ़ी है। राज्य का अपना राजस्व 05–06 में 4,083.40 करोड़ था वह 3.5 गुणा से ज्यादा बढ़कर 2011–12 में 15,569 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2005–06 में कुल **विकास व्यय** (Development Expenditure) 131.36 करोड़ था जो कुल व्यय का 58 प्रतिशत था। वर्ष 2011–12 में विकास व्यय तिगुने से भी अधिक बढ़कर 42,395 करोड़ हो जाएगा जो राज्य के कुल व्यय का 65 प्रतिशत है। राज्य सरकार के इस निर्भिक हस्तक्षेप के बिना बिहार के विकास दर को दो अंकों में पहुँचा पाना सम्भव नहीं होता।

विकास व्यय में निरंतर वृद्धि के बावजूद राज्य सरकार अपनी ऋण देनदारियों (Debt Liability) को सीमा में रखने में सफल रहा है। राज्य सरकार की बकाया ऋण देनदारी वर्ष 2005–06 में 42.5 हजार करोड़ थी जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (State Domestic Product GSDP) के 52 प्रतिशत के बराबर थी। वर्ष 2010–11 में बकाया ऋण देनदारी 15.2 हजार करोड़ बढ़कर 57.7 हजार करोड़ रूपए हो गई है लेकिन GSDP के प्रतिशत के रूप में घटकर यह मात्र 29 प्रतिशत रह गई है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार केन्द्रीय करो की जो शुद्ध प्राप्ति केन्द्र सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक होगी उसका 32 प्रतिशत राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा, यद्यपि राज्यों ने शुद्ध प्राप्ति का 50 प्रतिशत वितरित करने की माँग की थी। बिहार को सेवा कर (Service Tax) छोड़कर शेष Shareable taxes का 10.917 प्रतिशत तथा सेवा कर के संग्रहित निवल राशि (Net Value) का 11.089 प्रतिशत प्राप्त होगा। इस प्रकार बिहार को केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में 2010–11 से 2014–15 के 5 वर्षो में 1,58,341.20 (1 लाख 58 हजार 341 करोड़ रूपए) प्राप्त होने का अनुमान है।

यद्यपि 13वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया है जिससे बिहार सहित अन्य राज्य लाभान्वित होंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश फार्मूला में परिवर्तन के कारण बिहार को लगभग 2500 करोड़ से वंचित होना

पड़ेगा। 12वें वित्त आयोग के फार्मूले के अनुसार Central Transfer में बिहार का हिस्सा 11.028 प्रतिशत था जो 13वें वित्त आयोग में घटकर 10.917 प्रतिशत हो गया है।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) से राज्यों को वर्ष 2006–07 तक समेकित ऋणों (Consolidated Loan) और वर्ष 2009–10 के अन्त में बकाए ऋणों का ब्याज दर 9 प्रतिशत पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इससे बिहार को 497.53 करोड़ रूपए का लाभ ब्याज राहत के रूप में होगा। वित्त आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित ऋणों का वर्ष 2009–10 के अन्त में जो बकाया है, उसको अपलिखित (Write Off) कर दिया जाएगा। इस राहत से भी बिहार को लगभग 100 करोड़ रूपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार वर्ष 2010–11 से 2014–15 के 5 वर्षों में राज्य के स्थानीय निकायों को 5682.10 करोड़ रूपए अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। राज्य आपदा राहत कोष (State Disaster Response Fund) के अन्तर्गत 1386.20 करोड़ रूपए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 4018 करोड़ रूपए, न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए 384.97 करोड़, BPL परिवारों को Biometric Based Unique Identification Number (UID) हेतु 369.2 करोड़, वन प्रक्षेत्र के लिए 38 करोड़, जल प्रबंधन क्षेत्र हेतु 304 करोड़, सड़कों तथा पुलों के रख रखाव हेतु 464 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे। इनमें से अनेक मदों में अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ शर्ते भी निर्धारित की गई है।

13वें वित्त आयोग ने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1845 करोड़ रूपए State Specific Grant के रूप में देने की अनुशंसा की है जिसमें पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रूपए, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी हेतु 206 करोड़, पुलिस आवास बैरक के लिए 106 करोड़, नालन्दा विरासत विकास योजना एवं पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण हेतु 100 करोड़, नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 100 करोड़, बाढ़ रोकने के लिए नदियों का अन्तर्जोड़ (Interlinking of Rivers) के लिए 333 करोड़ रूपए प्रमुख हैं।

इस प्रकार केन्द्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि 1,58,341.20 करोड़ एवं अनुदानों के रूप में प्राप्त होने वाली 14,602.80 करोड़ रूपए कुल 1 लाख 72 हजार 944 करोड़ रूपए 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2010—2015 के बीच केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को अन्तरित होना अनुमानित है। ज्ञातव्य है कि

संविधान के अनुच्छेद 280 के सन्दर्भ में प्रत्येक 5 वर्षो पर वित्त आयोग का गठन और उसकी अनुशंसाओं पर केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को धन का अन्तरण (Transfer) एक संवैधानिक बाध्यता है।

राज्य का कुल वास्तविक व्यय वर्ष 2005—06 में 22,568.48 करोड़ था जो वर्ष 2011—12 में तीन गुणा बढ़कर 65,325.87 करोड़ हो गया है। वर्ष 2011—12 के कुल बजट में योजना उद्व्यय (Plan Outlay) 24 हजार करोड़ रूपए है, गैर योजना उद्व्यय (Non Plan) 37,822.95 करोड़, केन्द्र प्रायोजित एवं केन्द्रीय योजनागत योजना (Centrally Sponsored Scheme and Central Plan Scheme) 3502.92 करोड़ है। वर्ष 2005—06 में कुल योजना व्यय 4379.68 करोड़ था जो 5½ गुणा बढ़कर वर्ष 2011—12 में 24 हजार करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2005—06 में कुल व्यय में गैर योजना व्यय का प्रतिशत 78.29 था जो वर्ष 2010—11 में घटकर 55.22 पर पहुँच गया है । वहीं कुल व्यय में राज्य योजना का व्यय वर्ष 2005—06 में मात्र 19.41 प्रतिशत जो 6 गुणा से ज्यादा बढ़कर 37.20 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2011—12 में 24 हजार करोड़ के योजना उद्व्यय में सर्वाधिक 21.15 प्रतिशत यानि 5,075.60 करोड़ राज्य की सड़कों पर व्यय किया जाएगा । मानव संसाधन पर योजना व्यय 3014 करोड़ (12.56 प्रतिशत), जल संसाधन पर 2112.38 करोड़ (8.80 प्रतिशत), समाज कल्याण पर 1,739.62 करोड़ (7.25 प्रतिशत), उर्जा विभाग पर 1,682.23 करोड़ (7.01 प्रतिशत), कृषि पर 848.86 (3.54 प्रतिशत), स्वास्थ्य विभाग पर 544.50 करोड़ (2.27 प्रतिशत), उद्योग के लिए 472.45 करोड़ (1.97 प्रतिशत), अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण हेतु 361.28 करोड़ (1.51 प्रतिशत), उद्व्यय का प्रावधान है।

राज्य सरकार को वर्ष 2011—12 में कुल 56,205.86 करोड़ (56 हजार 205 करोड़ 86 हजार) राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। इसमें राज्य के अपने स्रोतों से 15,568.84 करोड़, केन्द्रीय करों में राज्यांश के रूप में 26,966.39 करोड़ और केन्द्र से अनुदान के रूप में 13,670.63 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

वर्ष 2011—12 में 9088.89 करोड़ रूपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 3,608.72 करोड़, वाह्य संपोषित परियोजनाओं के लिए 2375.90 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय लघु बचत के विरूद्ध 2,200 करोड़ रूपये ,नाबार्ड से 863.82 करोड़ तथा NCDC से 40.44 करोड़ रूपये अनुमानित है। उसी प्रकार कुल शुद्ध ऋण 1018.51 करोड़ दिया जाना प्रस्तावित है जिसमें विद्युत

बोर्ड को 786.04 करोड़ रूपये राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों के बकाए वेतन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु 121.34 करोड़ रूपये शामिल है। राज्य सरकार को 2907.89 करोड़ रूपये ऋण के रूप में वापस करना है जिसमें 465.79 करोड़ केन्द्र सरकार के ऋणों एवं 2442.10 करोड़ रूपए पूर्व में लिए गए आन्तरिक ऋण से सम्बन्धित है।

योजना आयोग की अनुशंसा पर दो प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है– प्रथम में सामान्य केन्द्रीय सहायता (Normal Central Assistance) मद की राशि सभी राज्यों को गाडगिल मुखर्जी Formula के आधार पर वितरित की जाती है, जबकि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Additional Central Assistance) के अंतर्गत कर्णांकित परियोजनाओं हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है। कौन–कौन सी परियोजना पर कितनी राशि व्यय होगी, इसका निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। एक योजना की राशि को दूसरी योजना पर व्यय नहीं किया जा सकता है।

सामान्य केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य को 1130.70 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कर्णांकित योजनाओं के लिए कुल 11 हजार 03 करोड़ रूपए उपबंधित हैं। इसके अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 525 करोड़, नाबार्ड द्वारा सम्पोषित **RIDF** के अंतर्गत 863.82 करोड़, **पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान** (राज्य) (BRGF) के लिए 2468 करोड़, **पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान** (जिला) के लिए 1210 करोड़, **सीमा क्षेत्र विकास योजना** (BADP) के लिए 52.65 करोड़, **त्वरित सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम** (AIBP) अन्तर्गत लघु जल संसाधन विभाग को 56 करोड़ तथा जल संसाधन विभाग को 922.20 करोड़, ई गवर्नेंस हेतु 30.51 करोड़, **नेहरू शहरी नवीकरण मिशन** के तहत 641.23 करोड़, **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम** (NSAP) के तहत 747.38 करोड़ रूपये, **तेरहवें वित्त आयोग** की अनुशंसा पर प्राप्त 1257.89 करोड़ रूपये तथा **वाह्य संपोषित परियोजनाओं** के लिए 2100.53 करोड़ रूपये का प्रावधान संबंधित विभागों के उद्व्यय में किया गया है।

छठे वेतन की अनुशंसाओं को लागू करने के कारण वेतन, पेंशन मद में राज्य पर लगातार बोझ बढ़ता गया है। वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और लिए गए ऋण की वापसी प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure) माना जाता है। वर्ष 2011–12 में प्रतिबद्ध व्यय 28,352.95 करोड़ अनुमानित है जिसके अन्तर्गत वेतन मद में 12,777.92

करोड़, पेंशन मद में 584.26 करोड़, ब्याज भुगतान 4738.51 करोड़ तथा ऋण की वापसी 2907.89 करोड़ अनुमानित है। राज्य सरकार केन्द्र के अनुरूप वर्ष में दो बार Dearness Allowance (DA) की दर को पुनरीक्षित करती है। इस Revised महंगाई भत्ते के कारण वर्ष 2010–11 में राजकोष पर 1678 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार पड़ा है।

वर्ष 2011–12 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा 2011–12 के लिए ऋण अधिसीमा 6342 करोड़ रूपए निर्धारित की गयी है जो कि राज्य GSDP का 3 प्रतिशत होना है। ऋण अधिसीमा के आधार पर राज्य GSDP 2 लाख 11 हजार करोड़ और राजकोषीय घाटा 6194.03 करोड़ अनुमानित है जो निर्धारित 3 प्रतिशत अधिसीमा के अन्तर्गत है।

बैंकिंग

बैंको की वार्षिक साख–योजना (Annual Credit Plan) वर्ष 2010–11 के लिए 37 हजार करोड़ निर्धारित की गयी है, जो 2009–10 की उपलब्धि 17,536 करोड़ से करीब 20 हजार करोड़ ज्यादा है। बैंको को वर्ष 2011–12 के लिए 40,500 करोड़ ऋण वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है।

सितम्बर, 2010 तक बैकों में जमा राशि ने 1 लाख करोड़ का आँकड़ा पार कर लिया है। बैंको में 30 सितम्बर, 2010 तक जमा–राशि 1 लाख एक हजार 762 करोड़ रूपए थी, जिसके विरूद्ध बैंको द्वारा 33 हजार 901 करोड़ रूपए का ऋण दिया गया है। बिहार का साख–जमा–अनुपात सितम्बर, 2010 में 33.31 प्रतिशत था। पिछले वर्ष 2009–10 के 31 मार्च को CD ratio 32.13 प्रतिशत था।

बैंको को 2012 मार्च तक राज्य के 2 हजार से अधिक आबादी वाले सभी गाँवों में बैंकिंग शाखा या बैंक–मित्र (Bussiness Correspondent) के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। 8947 गाँवों की पहचान की गयी है, जहाँ 2012, मार्च तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। 301 गाँवों में यह सुविधा सितम्बर, 2010 तक उपलब्ध करायी गयी है, शेष 2132 गाँवों में 31 मार्च, 2011 तक तथा 6514 गाँवों में मार्च, 2012 तक यह सुविधा उपलब्ध कराना है।

मार्च 2010 तक 23 हजार 616 छात्रों को 704.82 करोड़ रूपए शिक्षा–ऋण के रूप में, 13 लाख 39 हजार किसान–क्रेडिट–कार्ड, 1351 करोड़ लघु एवं छोटे उद्योगों हेतु, 25

हजार 215 लोगों को डेयरी हेतु 227.92 करोड़ रूपए, 1007 मत्स्य पालकों को 116.15 करोड़ मछली–पालन हेतु, 2676 वाहनों की खरीद हेतु 58 करोड़, 30 हजार 241 स्वयं–सहायता–समूहों को 295.05 करोड़ ऋण के रूप में बैंको द्वारा दिया गया है।

पी०डी०आर० एक्ट

राज्य के अधीन बैंकों से संबंधित मांग वसूली की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से बिहार एवं उड़ीसा **लोक मांग वसूली अधिनियम–1914** में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है। अभी तक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अधियाचित राशि का 10 प्रतिशत Court Fee के रूप में बैंकों से अग्रिम लिया जाता रहा है। ऋण वसूली में अपेक्षित प्रगति लाने के निमित्त प्रस्ताव है कि Court Fee की राशि 10 प्रतिशत के जगह अब इसका 25 प्रतिशत मात्र अधियाचना दायर करते समय बैंक भुगतान करे और शेष 75 प्रतिशत की राशि अंशदान के रूप में अधियाचक के वसूली करने के उपरांत भुगतान की जा सकेगी। इस संशोधन के पश्चात बैंकों को बकाया राशि की वसूली में सुविधा होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अनुदान (Externally Aided Project)

वाह्य संपोषित परियोजना (Externally Aided Project) हेतु वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक कुल 2035.91 करोड़ रूपए ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से Asian Development Bank से 814.87 करोड़ रूपए **राज्य उच्च पथों** के लिए 133.15 करोड़ विश्व बैंक से **बिहार ग्रामीण आजिविका परियोजना** के लिए, 335.70 करोड़ **Bihar Development Policy Loan** हेतु तथा **DFID**, **UK** से 84.81 करोड़ रूपए स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2011–12 में 2550.53 करोड़ रूपए ऋण एवं अनुदान के रूप में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होंगे। ये ऋण अन्य ऋण की तुलना में सस्ती–ब्याज–दर एवं लम्बी अवधि में भुगतान हेतु प्राप्त होंगे।

वर्ष 2011–12 में Asian Development Bank से बिहार राज्य उच्च पथ परियोजना के चरण – I के लिए 850.32 करोड़, चरण – II के लिए 278.50 करोड़ रूपए जिससे 826.92 कि०मी० सड़क का निर्माण होगा। Bihar Power Sector Development Programme हेतु 66 करोड़, Agribusiness Infrastructure Development Project

हेतु 100 करोड़, Bihar Urban Development Project हेतु 50 करोड़ का ऋण प्रस्तावित है।

World Bank से Bihar Development Policy Loan II हेतु 450 करोड़, Bihar Rural Livelihood Project हेतु 120 करोड़, कोशी बाढ़ पुनर्वास योजना हेतु 337.82 करोड़, Bihar Panchayat Strengthening Project अन्तर्गत पंचायत–सरकार–भवन निर्माण हेतु 83.26 करोड़ का ऋण प्रस्तावित है।

Department for International Development DFID, UK द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को Support Programme for Urban Reforms (SPUR) हेतु 40 करोड़, Sector Wide Approach to Strengthening Health (SWASTH) के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग को 114.50 करोड़ का ऋण प्रस्तावित है।

अब मैं आगामी वर्ष में कार्यान्वित होनेवाले कार्यक्रमों को विभागवार प्रस्तुत कर रहा हूँ

पथ निर्माण विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में पथ निर्माण विभाग का योजना व्यय 246 करोड़ 06 लाख था जबकि 2011–12 के बजट में योजना व्यय 3875 करोड़ 19 लाख रूपये निर्धारित है, जो वर्ष 2005–06 की तुलना में 1474.90 प्रतिशत ज्यादा है। ग्रामीण कार्य विभाग का योजना–उद्व्यय वर्ष 2011–12 का 1200.409 करोड़ है। पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग मिलाकर 5075.59 करोड़ रूपये राज्य की सड़कों पर व्यय किये जाएँगे। गैर योजना मद में पथों के अनुरक्षण पर भी काफी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा **NH** के रख–रखाव हेतु पर्याप्त राशि नहीं दिये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य–निधि से अबतक कुल 969.75 करोड़ की लागत पर कुल 2437.1 कि०मी० पथांशों के उन्नयन–कार्य एवं 5 पुल–निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है, जिसके विरूद्ध अबतक 1973.0 कि०मी० **राष्ट्रीय उच्च पथों** का उन्नयन पूर्ण किया जा चुका है तथा 464.1 कि०मी० में कार्य प्रगति में है जिन्हें जून, 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा अद्यतन 778.57 करोड़ रू० का व्यय राष्ट्रीय उच्च पथों पर किया जा चुका है। राष्ट्रीय उच्च पथों को 4–लेन करने की दिशा में राज्य सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है।

पूर्व से राज्य में 2035.00 कि०मी० के **राज्य उच्च पथों** के अतिरिक्त 1880.00 कि०मी० नवघोषित राज्य उच्च पथों को आधुनिक मानकों के अनुसार दो लेन हाईवे में परिणत करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व के 2035.00 कि०मी० राज्य उच्च पथों को 'राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत दो–लेन करने हेतु कुल 2976.92 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त की गई तथा कार्यान्वयन CPWD एवं IRCON के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें अबतक 2716.64 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं। अबतक कुल 1811.11 कि०मी० का कार्य पूर्ण है। शेष–पथ कार्य को जून 2011 एवं पुल/पुलिया को अक्टूबर 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

राज्य में अवस्थित 9158.0 कि०मी० **वृहद् जिला पथ** को इन्टरमिडिएट लेन में उन्नयित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत अबतक कुल 4414.99 करोड़ रूपये की लागत से कुल 8179.0 कि०मी० की स्वीकृति प्रदान की गई है। अबतक कुल 6197.0 कि०मी० का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति में है, जिसे अक्टूबर 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

राज्य के दूर–दराज विशेषकर ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए **'मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना'** के तहत विभिन्न पथों पर वृहद्/लघु पुलों के निर्माण की शुरूआत की गई है। कुल कार्यान्वित 3585 योजनाओं में अबतक 2261 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं तथा शेष को अक्टूबर 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2011–12 में 400 करोड़ का बजट–उपबंध है। आरा–छपरा के बीच गंगा नदी (676 करोड़), बगहा–धनहा के बीच गंडक नदी रतवल घाट (359 करोड़), दरभंगा के अरई नदी (35 करोड़), कोशी नदी पर बलुआहा घाट (531.5 करोड़) एवं विजय घाट (317.43 करोड़), गोपालगंज के बिशनपुर में गंडक नदी पर (317.43 करोड़), अरवल–सहार के बीच सोन नदी पर (99 करोड़), सीतामढ़ी का ढेंगघाट (53.30), सीतामढ़ी–शिवहर के बीच पिपराही (56.42 करोड़), मांडर घाट (42.27 करोड़), बूढ़ी गंडक नदी पर जटवाघाट (19.83 करोड़) तथा बगही घाट (19.80 करोड़) के पुल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्य में प्रथम बार **जन–निजी–भागीदारी** के अन्तर्गत बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच गंगानदी पर 1602.00 करोड़ रू० लागत से पुल–निर्माण हेतु अनुदान–करार 08 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित है एवं अप्रैल 2011 में कार्य प्रारम्भ होना है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **भारत–नेपाल सीमा सड़क** योजना के अन्तर्गत राज्य में 564 कि०मी० पथों को निर्माण हेतु 1702.0 करोड़ की लागत पर सहमति दी गयी है जिसके लिए डी०पी०आर० की तैयारी की जा रही है।

ग्रामीण कार्य विभाग

वर्ष 2005–06 में ग्रामीण कार्य विभाग का योजना 332 करोड़ 81 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 1200 करोड़ 40 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

विगत पाँच वर्षों में दिसम्बर 2010 तक 18 हजार 41 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है, जिसमें राज्य के अपने संसाधनों से 3476.98 करोड़ व्यय कर 8225.03 कि०मी० सड़क निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 926.4 करोड़ रूपये व्यय कर कुल 4880 कि०मी० पथों की मरम्मति के कार्य पूर्ण किये गए। वित्तीय वर्ष 2010–11 में औसतन प्रतिदिन 16.8 कि०मी० तथा कुल 3170.46 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण–कार्य पूरा किया गया है। संप्रति राज्य में 24500 कि०मी० सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

एक हजार से अधिक आबादी वाले सभी ग्राम/टोलो को बारहमासी सड़क से जोड़ने हेतु **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अंतर्गत दिसम्बर 2010 तक 5550.49 करोड़ रूपये खर्च कर 9816.01 कि.मी. सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इन सड़कों की बढ़ी हुई लागत का खर्च वहन करने से केन्द्र सरकार द्वारा इनकार किए जाने पर राज्य सरकार ने अपने बजट से 650 करोड़ रूपये व्यय कर पूरा करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2011–12 में 5 हजार करोड़ व्यय कर 13,500 कि०मी० सड़क निर्माण का लक्ष्य है जिससे 8216 गावों को सम्पर्कता मिल सकेगी।

500 से 999 तक की आबादी वाले ग्रामों/टोलों को बारहमासी सड़क–सम्पर्क–सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना** प्रारम्भ की गयी है। इन योजनाओं के अंतर्गत विगत पाँच सालों में दिसम्बर 2010 तक कुल 1461.21 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 3349.4 कि०मी० कालीकरण का कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2010–11 में 260 करोड़ का उपबंध है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1100 कि०मी० पथों के निर्माण हेतु 300 करोड़ का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

'नाबार्ड' द्वारा उपलब्ध ऋण से विगत पाँच साल में दिसम्बर 2010 तक कुल 1361.05 कि०मी० पथ का निर्माण कराया जा चुका है। वर्ष 2010–11 में 184.90 करोड़ का उपबंध है तथा वर्ष 2011–12 में 203.39 करोड़ का उद्व्यय प्रस्तावित है। **अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना** के तहत दिसम्बर 2010 तक कुल 42.62 करोड़ व्यय करते हुए 109.69 कि०मी० सड़क निर्माण कराया गया है। वर्ष 2011–12 में 50 करोड़ बजट उपबंध प्रस्तावित है।

ग्रामीण सड़क/पुलों के रख–रखाव एवं मरम्मती हेतु गैर योजना मद में विगत पाँच साल में दिसम्बर 2010 तक 926.4 करोड़ के लागत से 1523 पुल/पुलियों तथा 4880 कि०मी० पथ का संधारण किया जा चुका है। वर्ष 2010–11 में 350 करोड़ का उपबंध था, जबकि वर्ष 2011–12 में भी 350 करोड़ का उपबंध किया गया है।

'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के अन्तर्गत नये पथ एवं नये पुल/पुलियों की इकाई में 274.92 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध था। इन योजनाओं के अन्तर्गत विगत पाँच साल में दिसम्बर 2010 तक कुल 992.32 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 2908.73 कि०मी० कार्य किया जा चुका है एवं नये पुल में 52.62 करोड़ रूपये व्यय कर 27 पुलों का निर्माण कराया गया है।

जल संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में जल संसाधन विभाग का वास्तविक योजना व्यय 551 करोड़ 80 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 2112 करोड़ 38 लाख रूपये तय किया गया है।

31 मार्च, 2010 तक राज्य में कुल सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 28.80 लाख हे० में ही सिंचाई–क्षमता सृजित की जा सकी है। कालान्तर में उपर्युक्त 28.80 लाख हे० के विरूद्ध 16.66 लाख ही उपयोगी क्षमता रह गयी है। इस **ह्रासित सिंचाई** क्षमता को पुर्नस्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। 12.14 लाख हे० के ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित करने हेतु 7 सिंचाई परियोजना पूर्वी कोशी नहर प्रणाली (750.75 करोड़), कोशी बराज (84.30 करोड़), पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (684.78 करोड़), दारा नदी उद्वह सिंचाई प्रणाली (37.70 करोड़), ताराकोल जलाशय (9.77 करोड) सोन नहर आधुनिकीकरण का अवशेष कार्य (280 करोड़), पश्चिम गण्डक

नहर प्रणाली (130 करोड़), नेपाल हितकारिणी योजना (171.84 करोड़) के पुर्नस्थापन का कार्य चल रहा है । वर्ष 2010—11 में 93,240 हे. तथा 2011—12 में 2.51 लाख हे० में ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुर्नस्थापन का कार्यक्रम है।

4.72 लाख हे० में **अतिरिक्त सिंचाई क्षमता** सृजित करने हेतु दुर्गावती जलाशय, मन्डर वीयर, बटेश्वर नाथ पम्प नहर, पुनपुन बराज, पश्चिमी एवं पूर्वी गण्डक नहर, पश्चिमी कोशी नहर सहित 10 वृहत् एवं 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का कार्यक्रम है।

नदियों को जोड़ने की योजना के अन्तर्गत बूढ़ी–गंडक–नोन–बाया–गंगा लिंक योजना '13 वें वित्त आयोग' द्वारा सहायता हेतु शामिल है। कुल 333 करोड़ की सहायता से वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ होकर 2014–15 की अवधि में पूरा किया जाना है। इस योजना की कुल आकलित राशि 407 करोड़ रूपए है। इसके DPR बनाने का काम प्रक्रियाधीन है।

दुर्गावती जलाशय योजना का निर्माण–कार्य आरम्भ करने हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय की शर्तों के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही इस योजना का अवशेष–कार्य प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

जमीन्दारी बाँधो के पुर्नस्थापन के लिये प्रथम चरण के 186 योजनाओं में से 171, द्वितीय चरण की 102 योजना में से 89 एवं तृतीय चरण की 70 योजनाओं में से 32 पूर्ण हो गयी है तथा अवशेष कार्यों को जून, 2011 तक करने का लक्ष्य है।

बाढ़ 2011 के पूर्व 280 अदद **बाढ़ सुरक्षात्मक योजना** 431.39 करोड़ की लागत से 31 मई, 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

बागमती (792 करोड़), **महानंदा** (603.88 करोड़), **चानन** (147.69 करोड़) बाढ़ प्रबन्धन की योजनाओं पर भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति के बाद बागमती एवं महानन्दा बाढ़ प्रबन्धन की योजना का कार्य प्रगति पर है। अधवारा समूह की झीम एवं जमुरा (64.52 करोड़) नदियों पर तटबंध–निर्माण एवं कमला बलान नदी पर तटबन्धों के विस्तारीकरण कार्य (56.115 करोड़) कार्य हेतु निविदा–आमंत्रण की प्रक्रिया चल रही है।

लघु जल संसाधन विभाग

मुख्यमंत्री आहर–पाईन पुनरूद्धार योजना के अन्तर्गत दक्षिण बिहार के 16 जिलों में 1637 आहर–पइनों/सिंचाई तालाबों का पुर्नस्थापन कर, 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई–क्षमता पुनर्स्थापित की जाएगी। वर्ष 2011–12 में 255.46 करोड़ का बजट–प्रावधान है।

वाटर बडीज की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन की राष्ट्रीय योजना के तहत पटना, गया, जहानाबाद एवं रोहतास जिले की 15 अदद लघु सिंचाई की योजनाओं पर 64.45 करोड़ रू० व्यय कर 15 हजार हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। वर्ष 2011–12 में 50 करोड़ का बजटीय प्रावधान है।

त्वरित सिंचाई लाभ योजना (AIBP) के अन्तर्गत जमुई जिले में 60 सिंचाई योजनाओं पर 65.84 करोड़ की लागत से 23,466 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है। वर्ष 2010–11 में 41 योजनाएं पूर्ण हो गयी हैं, शेष 19 वर्ष 2011–12 में पूर्ण करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त 32 अदद लघु सिंचाई की नई योजनाएँ 64.65 करोड़ की प्राक्कलित राशि से 2011–12 में प्रारंभ की जाएगी जिससे 15,718 हे० अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

नाबार्ड–ऋण से 2765 नए **राजकीय नलकूप** की स्थापना के अन्तर्गत 2010–11 में 1320 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। राज्य में उपलब्ध संसाधन से 200 अदद् पुराने असफल नलकूपों का पुनर्स्थापन कार्य चल रहा है, जिसमें 34 अदद् नलकूपों का पुनर्स्थापन हो चुका है।

बिहार भू–जल सिंचाई योजना के तहत 58 हजार 855 आवेदन सृजित किए गए, जिसमें से बैंकों ने 39,862 स्वीकृत कर 30,077 आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया है।

आपदा प्रबंधन विभाग

इस वर्ष राज्य के सभी 38 जिले अल्प वर्षा के कारण सूखा–प्रभावित घोषित किए गए। **मुफ्त सहाय्य वितरण** के अन्तर्गत अब तक कुल 64 लाख 40 हजार व्यक्तियों के बीच 380 करोड़ 37 लाख रूपए वितरित किए जा चुके हैं।

राज्य के 28 बाढ़–प्रवण जिलों में तत्काल सर्वाधिक बाढ़ प्रवण 13 जिलों में बचाव हेतु 10–10 मोटर वोट (2–2 FRF एवं 8–8 Inflatable) की आपूर्ति की गई है । सभी 28

जिलों में 100–100 **लाइफ जैकेट्स** और मुख्यालय स्तर पर 277 लाइफ जैकेट्स सुरक्षित रखे गये हैं। बाढ़ के समय संचार–व्यवस्था कायम रखते हुये 85 अदद् Satellite Phone एवं 200 अदद् Global Positioning System मार्च 2011 तक उपलब्ध कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित 14 जिलों में 20–20 लाख की लागत से जिला स्तरीय गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। कोसी बाढ़ प्रभावित जिलों में High Raised Pucca Platform के रूप में Flood Shelter तथा पालतू मवेशियों के लिए Cattle Shelter 53.35 लाख रूपए प्रति यूनिट लागत से बनाने का निर्णय लिया गया है।

पटना जिला के बिहटा में 25 एकड़ भूमि पर State Disaster Response Force (राज्य आपदा रिस्पान्स फोर्स) की एक बटालियन की स्वीकृति मिल गयी है। इस बटालियन के कुल 18 श्रेणी/रैंक के 1157 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। साथ ही समुदाय के क्षमता–निर्माण (Capacity Building) हेतु गोताखोरों, पंचायती राज के प्रतिनिधियों, भूकम्परोधी भवनों के निर्माण हेतु सरकारी/गैर सरकारी अभियन्ताओं/आर्किटेक्ट/राज मिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवनों के निर्माण का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है।

आगजनी से प्रभावित जिलों को इस वर्ष अग्नि–सहाय्य मद में कुल 25.16 करोड़ आवंटित किया गया है। **शीतलहर** से बचाव हेतु 48.12 लाख आवंटित कर कुल 1553 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। **वज्रपात** से मृत्यु पर पहले अनुदान का कोई प्रावधान नहीं था। अब राज्य सरकार अपने कोष से वज्रपात से मृत व्यक्तियों को भी अनुदान दे रही है।

कृषि विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में कृषि विभाग का वास्तविक योजना व्यय 20 करोड़ 43 लाख रूपये था। 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 848 करोड़ 86 लाख निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2006–07 में वर्षों से परती पड़े 45 **कृषि प्रक्षेत्रों** में बीज उत्पादन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2010–11 में 245 कृषि प्रक्षेत्रों में **बीज उत्पादन** का कार्य हो रहा है। उसी प्रकार 4272 गाँवो में **बीज–ग्रामों** की स्थापना की गयी है। **'मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना'** के तहत चयनित गाँव के दो–दो किसानों को आधार बीज आधे मूल्य पर

उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में मात्र 1160 क्विंटल प्रमाणित बीज अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराया गया था, वहीं वर्ष 2010–11 में 5 लाख 65 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया है। वर्षों से बन्द पड़े **बिहार राज्य बीज निगम** को भी चालू किया गया है।

राज्य में **जैविक खेती** को बढ़ावा देने के लिए 255 करोड़ रू० की 5 वर्षीय परियोजना प्रारम्भ की गयी है। **वर्मी कम्पोस्ट** के उत्पादन पर 30 हजार तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2010 में अभियान चलाकर वर्मी कम्पोस्ट हेतु 36 हजार 93 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। व्यवसायिक स्तर पर भी प्रति वर्ष 3 हजार टन उत्पादन के लिए 25 लाख रू० तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। देश में पहली बार वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री पर 3 रू०/किलो ग्रा० अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इस परियोजना के तहत **जैव उर्वरक बीज** भी उत्पादक किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

कृषि विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु 2–8 दिसम्बर 2010 तक राज्य के सभी प्रखंडो में **कृषि विकास उत्सव** का आयोजन किया गया, जिसमें 2800 वैज्ञानिक, 5480 प्रसार कर्मियों, 3.87 लाख किसानों की भागीदार रही है। इस कार्यक्रम में वर्मी कम्पोस्ट एवं कृषि–यंत्रों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए।

वर्ष 2006–07 में **कृषि यंत्रों** पर 6 करोड़ अनुदान दिया गया था, जो 2010–11 में बढ़कर 150 करोड़ हो गया। अब मेले के माध्यम से कृषि–यंत्र उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। परमिट व्यवस्था समाप्त कर किसानों को सीधे अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 लाख 85 हजार 872 उन्नत कृषि–यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया। राज्य में पहली बार 04–10 मार्च की अवधि में कृषि–यंत्र निर्माताओं का **राष्ट्रीय स्तर** का मेला पटना में आयोजित किया जा रहा है।

कृषि विकास योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक प्रखण्ड में एक **प्रखण्ड प्रौद्योगिकी प्रबंधक,** प्रत्येक दो पंचायत पर एक **विषय–वस्तु–विशेषज्ञ** (कुल–4,062) एवं प्रत्येक पंचायत में एक **किसान सलाहकार** (8,463) नियुक्त करने के निर्णय के विरूद्ध अभी तक 2,279 विषय–वस्तु–विशेषज्ञ एवं 4928 **किसान– सलाहकारों** का नियोजन किया जा चुका है। किसानों को आधुनिक कृषि–तकनीक से अवगत कराने हेतु सभी पंचायतों में किसानों के खेत में ही **किसान पाठशाला** की शुरूआत की गयी है।

बागवानी के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ फलों की पौधा–रोपण–सामग्री तैयार कर किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

धान एवं गेहूँ की पैदावार बढ़ाने के लिए **श्री** तकनीक का प्रत्यक्षण सभी पंचायतों में किया जा रहा है। **बिहार राज्य फल सब्जी विकास निगम** को विकसित करन के साथ–साथ मिट्टी, उर्वरक, कीटनाशी एवं जैव उर्वरकों के जाँच प्रयोगशाला को स्थापित एवं सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का वर्ष 2005–06 में योजना व्यय 4 करोड़ 40 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 में योजना व्यय 194 करोड़ 65 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

राज्य के पशुओं को संक्रामक बीमारियों जैसे–खुरहा (एफ.एम.डी.), गलाघोंटू (एच.एस.) एवं लंगड़ी (बी.क्यू.) के विरूद्ध अभियान चलाकर वर्ष में दो बार **'पशु–स्वास्थ्य–रक्षा–कार्यक्रम** के तहत पशुपालक के दरवाजे तक टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। द्वितीय चरण में 20 जिलों को अत्याधुनिक उपकरणों/पशु दवाओं से सुसज्जित Ambulatory भान की सुविधा (मिनी पशु चिकित्सालय) उपलब्ध करायी जाएगी।

मुर्गी ग्राम योजना (रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना) के अन्तर्गत राज्य के नौ जिलों में बी०पी०एल० एवं महादलित परिवारों को लो–इनपुट टेक्नोलॉजी के 45 चूजें प्रति परिवार 4 सप्ताह तक पालकर लाभार्थियों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के 100 **कुक्कुट** पालकों/कृषकों को राज्य के बाहर प्रतिष्ठित कुक्कुट संस्थानों में भेजकर प्रशिक्षित कराने का कार्य किया जाएगा। **बकरी–पालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र** के रूप में पूर्णियाँ को विकसित किया जाएगा। चयनित 10 जिलों में कम से कम 600 लाभार्थियों को उन्नत नश्ल के दो–दो बकरे देकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय बकरियों के नस्ल–सुधार का कार्य कराया जाएगा। राज्य में अवस्थित 86 गोशालाओं में से द्वितीय चरण में 30 (तीस) गोशालाओ को अधिकतम छः लाख रूपये अनुदान देकर विकसित करने का कार्य किया जाएगा। पशु–चिकित्सालयों में 17 प्रकार की मुफ्त दवाओं की संख्या को बढ़ाकर 26 किया जाएगा।

रोहतास जिले के डेहरी–ऑन–सोन में 19.95 करोड़ के अनुमानित लागत व्यय पर एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के **'डेयरी प्रोडक्ट प्लांट'** की स्थापना का कार्य निर्माणाधीन है, जबकि **21.34** करोड़ के व्यय पर 3844 इकाई लघु डेयरी, 600 इकाई मिनी डेयरी, 427 इकाई मिडी डेयरी एवं 100 इकाई व्यवसायिक डेयरी की योजना है। 255 लाख के व्यय पर 12217 कृषकों हेतु राज्य के बाहर एवं अन्दर स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण, 400 लाख के व्यय पर 57 इकाई दुग्ध–संग्रहण–केन्द्र निर्माण, 315 लाख के व्यय पर प्रमंडलीय मुख्यालय में 9 इकाई दुग्ध एवं दुग्ध–उत्पादन के गुण–नियंत्रण–केन्द्र तथा किसानों हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की योजना है।

280 लाख की लागत पर 14 इकाई स्वचालित दुग्ध–संग्रहण–केन्द्र एवं बल्क–मिल्क–कूलर, 80.60 के व्यय पर मधुबनी में एक इकाई हरा चारा बीज–प्रसंस्करण इकाई एवं 209.75 लाख के व्यय पर कुल 299 दुग्ध–समितियों में सोलर–सिस्टम–आपूर्त्ति की स्थापना की योजना है।

राज्य की वार्षिक **मछली** की मांग 4.56 लाख मे० टन है, जबकि वर्त्तमान उत्पादन 3.06 लाख मे० टन है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 3.50 लाख मे० टन मछली तथा 450 मिलियन **मत्स्य अंगुलिकाओं** के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र में ऋण/अनुदान की सहायता से 60 Fish Seed Mill, 60 **मत्स्य बीज हैचरी** तथा 20 हजार हेक्टेयर में **फसल बीमा योजना** लागू करने का कार्यक्रम है। 'तीव्र–बीज–विकास–योजना' के अन्तर्गत किसानों को 15 करोड़ मत्स्य– अंगुलिकाओं के उत्पादन एवं संचयन हेतु ब्याज रहित ऋण/अनुदान की योजना प्रारम्भ की जा रही है।

20 हजार मछुआ–परिवारों के मुखिया को **जनश्री बीमा योजना** के अन्तर्गत लाया जाएगा। मत्स्य पालन की अद्‌यतन **तकनीक** से अवगत कराने हेतु एक हजार चयनित मत्स्य–पालकों को राज्य सरकार के खर्च पर काकीनाड़ा (आन्ध्र), बैरकपुर, साल्ट लेक (पश्चिम बंगाल) भेजकर प्रशिक्षित कराया जाएगा।

सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग का वर्ष 2005–06 वास्तविक योजना व्यय 101 करोड़ 70 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 289 करोड़

80 लाख रूपये निर्धारित किया गया है तथा केन्द्र प्रायोजित योजना (समेकित सहकारी विकास परियोजना) के लिए 53.23 करोड़ रू० प्रस्तावित हैं।

राज्य सरकार ने मधेपुरा–सुपौल, दरभंगा एवं छपरा **केन्द्रीय सहकारी बैंक**, जो परिसमापनाधीन हैं, के स्थान पर उपरोक्त जिलों में नए सहकारी बैंक खोलने का निर्णय लिया है। मधेपुरा, छपरा, दरभंगा से प्राप्त सम्भाव्यता (feasibility) प्रतिवेदन नाबार्ड को भेजते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रस्ताव पर सहमति माँगी गयी है। सहरसा से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2009 के लिए 11.00 लाख से ज्यादा कृषकों की 2600.00 करोड़ रू० की फसल तथा रब्बी, 2009–10 के लिए 8.25 लाख कृषकों की 2148.00 करोड़ रू० की फसल बीमित की गई। खरीफ,2009 में 6.89 लाख कृषकों को 518.54 करोड़ रू० क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है, जबकि रब्बी, 2009–10 में **मौसम आधारित फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत 3.29 लाख कृषकों को 67.99 करोड़ रू० क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2010 खरीफ मौसम में 10.41 लाख कृषकों की 2386.00 करोड़ रू० की फसल बीमित की गई है।

समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत पैक्सों एवं व्यापार मण्डलों में **100/200–250** मे० टन के गोदाम निर्माण–के साथ–साथ 'मार्जिन मनी' के रूप में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम यथा, लघु चावल मिल एवं छोटे उद्योगों की स्थापना आदि कार्यक्रम शामिल हैं। कुल 811 गोदामों के निर्माण–लक्ष्य के विरूद्ध 743 गोदाम निर्माण पूरे हो चुके हैं। आगामी परियोजनाओं में 654 नए गोदामों के निर्माण की योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नाबार्ड सम्पोषित **ग्रामीण भण्डारण योजना** के तहत् 2011–12 में पैक्सों में 200 मे० टन क्षमता वाले 2500 नए गोदामों के निर्माण की योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् वर्ष 2010–11 में 59 पैक्सों/ व्यापार–मण्डलों में गैसीफायर के साथ चावल मिल, 140 पैक्सों/ व्यापार मण्डलों में नए गोदामों के निर्माण एवं बिस्कोमान के 98 गोदामों की मरम्मती की योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2010–11 में इस योजना के लिए 15.24 करोड़ रू० प्रावधानित है।

बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पैकेज के तहत पैक्सो एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचित हानि को समाप्त करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ एवं सक्षम

बनाना है। इस पैकेज के प्रथम चरण में कुल 5435 पैक्सों को 425.63 करोड़ रू० स्वीकृत हैं, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 265.06 करोड़ रू० एवं राज्य सरकार द्वारा अपना पूरा भाग विमुक्त किया जा चुका है।

वर्त्तमान वर्ष में कृषकों के खलिहानों से **धान अधिप्राप्ति** का कार्य पैक्सों एवं बिस्कोमान के माध्यम से कराया जा रहा है। गत खरीफ, 2009–10 में 6.42 लाख मे० टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी। वर्तमान वर्ष 2010–11 में सहकारी समितियों द्वारा जनवरी, 2011 तक लगभग 1.25 लाख मे० टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। पैक्सों के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति हेतु 20 जिलों के 1038 पैक्सों को 47.05 करोड़ का ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया है । राज्य सरकार ने पैक्सों के माध्यम से जन–वितरण प्रणाली की दुकान चलाने का निर्णय लिया है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में पर्यावरण एवं वन विभाग का योजना व्यय 18 करोड़ 65 करोड़ था जबकि वर्ष 2011–12 के बजट में 44 करोड़ 62 लाख रूपये निर्धारित है।

राज्य में **अवस्थित अवकृष्ट एवं बंजर** हो रहे वन क्षेत्रों के **पुनर्वास** के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 18 करोड़ 27 लाख रूपए व्यय किए जा रहे हैं। वर्ष 2011–12 में 20 करोड़ 77 लाख का प्रावधान है जिसके तहत राजगीर परियोजना एवं रानीगंज वृक्षवाटिका कार्य भी शामिल किए जाएंगे। **नहर तट** एवं **पथ तट** फार्म योजना के अन्तर्गत 2010 में 823 कि०मी० लम्बाई में वनरोपण कार्य हुआ है। 2011–12 में नहर तट हेतु 5.49 करोड़ तथा पथ तट हेतु 3.80 करोड़ रूपये व्यय होंगे।

मुख्य सचिवालय, पटना की 12 हेक्टेयर खाली पड़ी जमीन पर 6.45 करोड़ की लागत पर **'राजधानी वाटिका'** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत बाँका एवं जमुई जिलों के 6 हजार हेक्टेयर अवकृष्ट वनों को पुनर्वासित किया गया है। 2010–11 के अन्त तक 76 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में आधुनिक मछली घर, साँप घर, लघु आडिटोरियम, विक्रय केन्द्र, भ्रमण हेतु बैटरी चालित गाड़ी एवं साइकिल व्यवस्था, झील में फुव्वारा, Rhino Safari एवं कुछ नए वन्य प्राणियों को लाने की व्यवस्था की जा रही है।

कृषि–वानिकी (Agro Forestry) को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि किसान अपने खेतों में वृक्षारोपण कर उससे उपार्जन भी कर सकें। इसके अन्तर्गत Poplar, बाँस एवं अन्य किस्मों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

छात्र वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत विद्यालय के छात्रों को वृक्षारोपण कर उसका लगातार 3 वर्षों तक संरक्षण एवं संवर्द्धन करने पर 100 रू० प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ इस योजना की समीक्षा कर इसे अगले वर्ष से नए स्वरूप में लागू किया जाएगा। इसके अन्तर्गत स्कूलों में Eco-Club भी स्थापित किए जाएँगे।

'बिहार राज्य–प्रदूषण–नियंत्रण–पर्षद्' द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने की व्यवस्था को Online किया की जा रहा है तथा उद्योगों के लाइसेंस के प्रतिवर्ष नवीकरण के स्थान पर तीन वर्ष पर उनेक नवीकरण (Renewal) करने की व्यवस्था की जा रही है।

प्लास्टिक कैरी बैग (Plastic Carry Bag) के इस्तेमाल के लिए अभी तक कम से कम 20 माइक्रोन की मुटाई तक का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 40 माइक्रोन से अधिक मुटाई के इस्तेमाल का प्रावधान कर दिया गया है। राज्य सरकार संबंधित पक्षों से विमर्श कर प्लास्टिक कैरी बैग के आकार एवं उसकी मुटाई बढ़ाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेगी।

'वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना' को Eco Tourism के रूप में विकसित किया जायगा।

राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा।

मानव संसाधन विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 मे मानव संसाधन विकास विभाग का वास्तविक योजना व्यय 449 करोड़ 78 लाख रूपये था, जबकि वर्ष 2011–12 के बजट में योजना मद में 3014 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 7046.80 करोड़ रूपये कुल 10060.80 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत कुल 22 हजार 350 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार हेतु 108 करोड़ 96 लाख राशि दी गयी है। **चहारदीवारी योजना** के अन्तर्गत 40 हजार विद्यालयों के निर्माण हेतु 607.79 करोड़ रू०

दिया गया है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 20,000 शिक्षकों का नियोजन किया गया है। 2771 माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े 92 प्रखंडो में 92 बालिका छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने तथा प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय में बी०एड० की पढ़ाई प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों के बाहर के बच्चों के लिए उन्हीं समुदाय के टोलों (मुहल्लों) में आवासीय केन्द्र खोले जायेगें, जिसमें उनके रहने एवं भोजन आदि की व्यवस्था होगी। निजी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत सीट जो कि उपर्युक्त कोटि के पड़ोस में रह रहे बच्चों के लिए भरा जायगा। प्रति बच्चा 2800/–रू० की दर से वार्षिक राशि उपलब्ध करायी जायगी। इस राशि के अलावे पोशाक के लिए भी निर्धारित राशि बच्चों को दी जायगी। 'बिहार विद्यालय–परीक्षा–समिति' द्वारा आयोजित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करनेवाले छात्र/छात्राओं को **मुख्यमंत्री मेधा पुरस्कार** योजनान्तर्गत पुरस्कार दिया जायगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधीन समृद्ध महाविद्यालयों का चयन कर उन्हें Institute of Excellence के रूप में विकसित किया जायगा एवं उन्हें Autonomous बनाए जाने की कार्रवाई की जायगी।

मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना के तहत 15–35 आयुवर्ग की 40 लाख निरक्षर महिलाओं को आच्छादित किया गया है। **साक्षर भारत मिशन** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य के सभी जिलों को आच्छादित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से ऊपर आयु–वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाया जायगा।

हुनर योजना के तहत 9232 अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडो में प्रशिक्षित किया गया है। **औजार योजना** के अन्तर्गत अब तक 7684 बालिकाओं को प्रति बालिका 2500.00 रू० की दर से कुल 2.30 करोड़ रू० राशि दी गयी है।

मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के अन्तर्गत अब तक 68,950 मध्य विद्यालयों तथा 2937 माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 5 हजार की राशि प्रति वर्ष उपलब्ध करायी जा रही है। अब इस राशि को बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया जा रहा है। विद्यालयों में खेलकूद विकास हेतु 30,042 विद्यालयों को कुल 86.53 करोड़ रू० राशि दी गयी।

बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना की गई है। इसके द्वारा 25 लाख एवं इससे अधिक की लागत वाले **शैक्षणिक भवनों** का निर्माण किया जायगा। प्रत्येक जिला में एक बहुद्देशीय परीक्षा–भवन का निर्माण कराया जायगा, ताकि परीक्षा के कारण पठन–पाठन का कार्य बाधित न हो।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 5 वर्ग) के 80.38 लाख तथा मध्य विद्यालय (कक्षा 6–8) के 21.05 लाख विद्यार्थियों को आच्छादित किया गया है। 1 मई, 2010 से प्रति रसोईया 1000/–(एक हजार) रू० प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाता है। राज्य के 28 जिलों के शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों के एक किलोमीटर की परिधि में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा केन्द्रीकृत किचेन से मध्याह्न भोजन–आपूर्ति करने की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 तक कुल 9.26 लाख छात्राओं को प्रति छात्रा 2 हजार रू० की दर से कुल 185 करोड़ 33 लाख रू० राशि दी गयी। **मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 तक कुल 11.99 लाख छात्रों को प्रति छात्र 2 हजार रू० की दर से कुल 239.93 करोड़ रू० राशि दी गयी। मुख्यमंत्री बालक और बालिका साइकिल योजना के अन्तर्गत अब 2 हजार की राशि को बढ़ाकर 2,500 करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले कुल 26,650 छात्राओं को अब तक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति छात्रा 10 हजार रू० की दर से 2665.00 लाख रू० उपलब्ध करायी गयी है। वर्त्तमान में इस योजना अन्तर्गत 52 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत कक्षा 6–8 की अब तक 38 लाख छात्राओं को प्रति छात्रा 700.00 रू० की दर से कुल 266.20 करोड़ रू० राशि दी गयी है। **मुख्यमंत्री पोशाक योजना** के अन्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी छात्र–छात्राओं को स्कूली पोशाक दिये जाने की व्यवस्था की जायगी। वर्ग 1–2 के छात्र/छात्राओं को पोशाक के लिए 400/–रू० प्रतिवर्ष, वर्ग 3–5 के छात्र/छात्राओं को 500/–रू० प्रतिवर्ष, वर्ग 6–8 तक छात्र/ छात्राओं को 700/–रू० तथा कक्षा 9–12 तक के छात्र/छात्राओं को एक हजार रूपए प्रति वर्ष दिये जाएँगे। कक्षा 3–5 के 88 लाख छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 500.00 रू० की दर से कुल 440.00 करोड़

रू० राशि दी गयी है। वर्ग 9 से वर्ग 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को प्रति छात्रा 1000/– रू० पोशाक के लिए दिया जायगा।

वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर दी गयी है। सरकार द्वारा छात्रों की उत्तीर्णता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कुल 517 विद्यालयों को कुल 20.87 करोड़ राशि उपलब्ध करायी गयी है। करीब 450 इन्टरमीडियट कॉलेज तथा 140 डिग्री कॉलेज को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है ।

राज्य में भारी संख्या में छात्र/छात्राएँ एवं अन्य वयस्क व्यक्ति औपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से कतिपय कारणों से वंचित रहने के कारण उन्हें इससे जोड़ने हेतु **बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड** की स्थापना की जा रही है। इसके अन्तर्गत 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा के स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जायगी।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग का वास्तविक योजना व्यय 40 करोड़ 47 लाख था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 120 करोड़ 51 लाख रूपये निर्धारित है।

राष्ट्रकवि दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय की स्थापना एवं **सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** के भवन निर्माण हेतु 3.9 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गयी है। गया, दरभंगा एवं मोतिहारी में अभियंत्रण महाविद्यालयों में 33.06 करोड़ के अनुमानित व्यय पर छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति एवं कर्मशाला, प्रयोगशाला में मशीन, उपकरण के अधिष्ठापन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है। लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा एवं नालंदा कॉलेज आफ इंजिनियरिंग, चण्डी के भवन निर्माण के लिए राशि, निर्माण–ऐजेन्सियों को दे दी गयी है।

BIT मेसरा, विस्तार केन्द्र, पटना में दो अतिरिक्त अभियंत्रण पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने और अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण हेतु 8.16 करोड़ की राशि दी गयी है।

शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी जिला में नया पॉलिटेकनिक हेतु 24.94 करोड़ प्रति संस्थान, पूर्वी चम्पारण एवं मधेपुरा जिले के प्रति पॉलिटेकनिक 26.43 करोड़ रूपए, पूर्व स्थापित 12 पॉलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 50 शय्या वाले महिला छात्रावास हेतु

18.84 करोड़, पूर्व से संचालित राजकीय महिला पॉलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर तथा कटिहार, लखीसराय, रोहतास जिला में नव स्वीकृत पॉलिटेकनिक संस्थान के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है।

बिहार रिमोट सेन्सिंग एप्लिकेशन सेन्टर के सुदृढ़ीकरण हेतु 6.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग का योजना व्यय वर्ष 2005–06 में 154 करोड़ 25 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए योजना मद में 115 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 544.50 करोड़ रूपये का उद्व्यय निर्धारित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लगभग 1275 करोड़ रूपये का आवंटन सम्भावित है। यह राशि बजट में परिलक्षित नहीं होती है तथा सीधे 'राज्य स्वास्थ्य समिति' को मिल जाती है। गैर योजना मद में भी 1700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

ग्राम स्वास्थ्य चेतना यात्रा के अन्तर्गत राज्य के सभी 10 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य उप केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर **स्वास्थ्य शिविर** का आयोजन कर लाखों की संख्या में आम–जन का उपचार किया गया है। विभाग के माननीय मंत्री **श्री अश्विनी कुमार चौबे** ने स्वयं इस यात्रा का नेतृत्व किया है।

राज्य सरकार ने 14 वर्ष आयु तक के 3 करोड़ 40 लाख लड़के/लड़कियों का स्वास्थ्य कार्ड (Health Card) बनाने का निर्णय लिया है। बिहार दिवस 22 मार्च, 2011 को इस योजना की शुरूआत की जाएगी जिसमें 70 हजार स्कूलों एवं 11 हजार स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के माध्यम से कार्ड निर्गत किए जाएगें। गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों का इलाज सरकारी व्यय से किया जाएगा।

राज्य सरकार ने दवा एवं उपकरण–खरीद तथा भवन–निर्माण का कार्य करने के लिए **मेडिकल सर्विस आधारभूत निगम** स्थापित किया है, जो वर्ष 2011–12 से पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने के क्रम में राजवंशी नगर अस्पताल में हड्डी रोग तथा राजेन्द्र नगर अस्पताल में नेत्र रोग की जांच की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी। राज्य के 22 जिलों में ICU, प्रखंड स्तरीय अस्पतालों को 30 शय्या वाले अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भोजन की व्यवस्था का काम

प्रक्रियाधीन है। राज्य के 9 प्रमण्डलीय मुख्यालय वाले जिलों में महादलित बाहुल्य क्षेत्रों में मोबाईल मेडिकल यूनिटें प्रारम्भ की जा रही हैं। राज्य के सभी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस 40 एम्बुलेंस सेवाएँ, '108 डायल सेवा' के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दी गई हैं।

राज्य में 2374 अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति के विरूद्ध 1624 अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वैसे अनुबंधित चिकित्सक, जिन्होंने 2 वर्षों की सेवा प्राप्त कर ली है, को नियमित करने का प्रस्ताव है। राज्य में 9663 ANM एवं 12076 ANMR के विरूद्ध 7580 ANMR नियुक्त हो चुके हैं। इसी प्रकार 3303 नर्स ग्रेड 'ए' के विरूद्ध 1491 नर्स ग्रेड 'ए' का चयन सभी जिलों में हो चुका है एवं शेष पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है।

जनसंख्या–नियंत्रण हेतु राज्य में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता में **''बिहार राज्य जनसंख्या पर्षद''** का गठन किया गया है। परिवार–कल्याण– कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्षो से सर्वाधिक बंध्याकरण ऑपरेशन (4,04,741) एवं सर्वाधिक कॉपर–टी (2,13,804) लगाए गये हैं। बिहार के सभी जिलों में परिवार कल्याण नोडल–पदाधिकारियों का चिह्नित किया गया है। अस्पतालों में गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं की उचित देखभाल हेतु 'रविदास–समुदाय' की महिलाओं को **'ममता'** के रूप में चयनित किया जाता है। वर्तमान में राज्य में कुल 3747 'ममता' कार्यरत हैं। शेष की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया जारी है।

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2005–06 में 45 हजार संस्थागत प्रसव हुए थे वहीं वित्तीय वर्ष 2009–10 में की संख्या बढ़कर कुल 12 लाख 46 हजार हो गई है, जिसमें कुल 236.98 करोड़ रूपये वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिसम्बर, 2010 तक कुल 10 लाख 74 हजार संस्थागत प्रसव एवं 174.78 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। **सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम** (Universal Immunization Programme) के क्षेत्र में **''मुस्कान एक अभियान''** कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्ण प्रतिरक्षण का 11 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 66.6 प्रतिशत हो गया जो राष्ट्रीय औसत 54.1 प्रतिशत से ज्यादा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 87135 **'आशा'** कार्यकत्ताओं के चयन के लक्ष्य के विरूद्ध 78,943 का चयन किया जा चुका है एवं शेष चयन के लिए प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक आशा कार्यकर्त्ता को एक ड्रग किट, दो साड़ी एवं एक छाता दिया जा

रहा है। नवजात शिशुओं के लिए जिला अस्पताल में एस०सी०एन०यू० एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एन०बी०सी०सी० उपकरण से सुसज्जित नवजात शिशुओं को देखभाल के लिए इकाई की स्थापना की जा रही है।

राज्य के सभी प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में 24x7 के आधार पर चिकित्सीय सुविधाएँ मुफ्त उपलब्ध करायी जा रही है। इन सुविधाओं के विस्तारीकरण एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य के 11 जिलों में 100 शैय्या वाले अस्पताल IPHS मापदंड पर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 1553 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 331 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सृजित किये जा चुके हैं एवं आगामी वर्षों में 7765 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 1544 नये अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र सृजित करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 25 सदर अस्पताल का उत्क्रमण किया जाना है, जिनमें 22 को उत्क्रमित किया जा चुका है। 22 अनुमंडलीय अस्पतालों में से 19 का उत्क्रमण–कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का वर्ष 2005–06 में योजना व्यय 43 करोड़ 21 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में 277 करोड़ 85 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था वर्ष 2015 तक उपलब्ध कराने का लक्ष है। जिसके तहत 2011–12 में 19 लाख 13 हजार शौचालय निर्माण कराने का लक्ष्य है। **सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान** के अन्तर्गत सिर्फ बी०पी०एल० परिवारों के लिए शौचालय–निर्माण हेतु प्रति परिवार 2200 रूपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 1500 रूपये तथा राज्य सरकार द्वारा 700 रूपये वहन किया जाता है।

लोहिया स्वच्छता योजना के तहत ए०पी०एल० परिवारों को 2000 रूपया प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि राज्य कोष से दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता हेतु वर्ष 2011–12 में 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

राज्य में श्मशान घाटों के विकास एवं आधुनीकिकरण हेतु **'मुक्ति धाम'** नाम से स्वीकृत योजना में प्रथम चरण में 50 श्मशान घाटों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 16 श्मशान घाटों का विकास किया गया है तथा अवशेष को इस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए वर्ष 2011–12 में 10.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रथम चरण में राज्य के 26 जिलों में 1500 विद्युत पम्प के साथ 222 करोड़ रूपये की लागत राशि पर 1500 **मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजना** स्वीकृत की गई, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा द्वितीय चरण में वर्ष 2010–11 में शेष 12 जिलों के लिए 270 योजनाओं की स्वीकृति 39.96 करोड़ की राशि पर दी गई है। इसके साथ ही इन जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अभावग्रस्त टोलों में सोलर पम्प के साथ प्रथम चरण में 400 मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनायें 78.60 करोड़ की राशि पर स्वीकृत की गई हैं, तथा वर्ष 2010–11 में 165 योजनाओं की स्वीकृति 32.42 करोड़ की लागत पर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में 1976 अदद स्थलों पर प्रखंड मुख्यालय के भवनों/उच्च विद्यालय के भवनों/अन्य उपर्युक्त सरकारी भवनों के छत से **वर्षा जल** के **संग्रहण** कर उपयोग हेतु 34.76 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों के 5028 प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में वर्षा जल से भू–गर्भीय जल का रिचार्ज करने हेतु 22.62 करोड़ की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई है । वर्ष 2010–11 में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 52,268 नये **चापाकलों** का निर्माण किया गया है।

आर्सेनिक प्रभावित टोलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु **बहुग्रामीय पाइप जलापूर्ति** योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली एवं भागलपुर जिले के 466 आर्सेनिक प्रभावित ग्राम/टोलो में शुद्ध पेय जल हेतु कार्य प्रारम्भ है। भोजपुर जिले में गंगा नदी से पानी लेकर पाइप–जलापूर्ति योजना लगभग पूर्ण कर ली गई है एवं आंशिक जलापूर्ति चालू है। भागलपुर जिले के लिए 330.287 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।

फ्लोराइड एवं **लौह** प्रभावित क्रमशः 300 एवं 500 ग्राम/टोलो में शुद्ध पेयजल हेतु ट्रीटमेन्ट यूनिट एवं सोलर पम्प के साथ मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाएँ स्वीकृत हैं, जिनका कार्यान्वयन चल रहा है।

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग का वित्तीय वर्ष 2005–06 में वास्तविक योजना व्यय 500 करोड़ 33 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में ऊर्जा विभाग का 1682 करोड़ 23 लाख रूपये तय किया गया है।

बरौनी तथा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत की एक–एक इकाई की पुर्नस्थापना कर 100–130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इन दोनों इकाइयों के (2 x 110 MW) के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य 2012 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

कॉँटी में (2 x 195MW) 29911 करोड़ तथा बरौनी में (2 x 500 MW) 3066 करोड़ की लागत से नई इकाई लगाने का कार्य प्रगति पर है।

नवीनगर में NTPC और राज्य विद्युत बोर्ड के संयुक्त उपक्रम द्वारा (3 x 160 MW) 1980 MW तथा 2 X 660 MW की दो नई अतिरिक्त विद्युत प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

Tariff based bidding के आधार पर निजी क्षेत्र में पिरपैंती (भागलपुर) कजरा (लखीसराय) एवं चौसा (बक्सर) प्रत्येक में (2 x 660 MW) हेतु कारवाई चल रही है। Case-II bidding के तहत 450 MW विद्युत खरीदने हेतु Essar Power के साथ एकरारनामा किया गया, जिसके तहत जुलाई, 2014 से विद्युत–आपूर्ति होगी।

बिहार विद्युत आपूर्ति के लिए पूर्णतया केन्द्र पर निर्भर है। केन्द्रीय प्रक्षेत्र में अग्रस्त–2010 से 1745–1972 MW का कोटा आवंटित है। परन्तु औसत–उपलब्धता अगस्त–1277, सितम्बर–1315, अक्टूबर–1381 एवं नवम्बर–1297 मेगा वाट रही। यानि अक्टूबर से 500–60 मेगावाट कम आपूर्ति होती रही।

बाढ़ सुपर थर्मल चरण–II (2 x 660) मेगावाट में उत्पादन 2013–14 में तथा चरण–। (3 x 660) मेगावाट 2014–15 में सम्भावित है। परन्तु बिहार का कोटा मात्र 175 MW और 324 MW निर्धारित है। बिहार ने कुल उत्पादन का 40% यानि 528 और 792 MW की मांग की है।

बिहार विद्युत बोर्ड ने Power Purchase Agreement (PPA) तथा MOU 7 केन्द्रीय उपक्रमों के साथ किया है, जिसमें गजमारा (640 MW), दरलीपल्ली (960 MW), तालचर चरण–III (462-528 MW, तिलैय्या (500MW) शामिल हैं। विद्युत बोर्ड ने 8 अन्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फरक्का चरण–III की उत्पादक इकाईयों को अपनी सहमति दी है। विद्युत बोर्ड ने उड़ीसा Ultra Mega Power Plant (500 MW) में 3.5 करोड़ तथा KEL झारखण्ड (330 MW) में भी अपनी सहमति दी है।

'बिहार विद्युत बोर्ड' प्रति माह 269.87 करोड़ की बिजली का क्रय करता है। NTPC द्वारा आयातित कोयले का इस्तेमाल करने के कारण पिछले 3 वर्षों में बोर्ड को 1084.48

करोड़ का अतिरिक्त भुगतान NTPC को करना पड़ा है। राज्य सरकार 90 करोड़ प्रतिमाह कुल 1080 करोड़ प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Resource Gap के रूप में उपलब्ध कराती है।

विद्युत बोर्ड ने राजस्व को बढ़ाने के लिए Meter Reading तथा मासिक विद्युत विपत्र के वितरण का काम पूर्णतया Outsource कर दिया है। PESU क्षेत्र छोड़कर पूरे राज्य में कम्प्यूटरीकृत विद्युत विपत्र का काम भी Outsource कर दिया गया है। 100 प्रतिशत मीटर लगाने, Spot Billing, ऑन–लाईन/ATM से भुगतान, विद्युत फीडर को INPUT BASED Franchisee आदि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में ग्रामीण विकास विभाग का योजना व्यय 595 करोड़ 07 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 1293 करोड़ 25 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–बिहार 2007 के अर्न्तगत वर्ष 2010–11 में 1653.90 करोड़ रूपए व्यय कर 10 करोड़ 46 लाख मानव दिवस सृजित कर 47,725 योजनाएँ पूर्ण की गयी हैं। 1 करोड़ 29 लाख परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं। उनमें से 35 लाख 36 हजार रोजगार दत्त परिवारों को बैंक/डाकघर के माध्यम से निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया गया है। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु 640 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 846 कनीय अभियंता, 2218 पंचायत तकनीकी सहायक, 534 लेखापाल एवं 8905 पंचायत रोजगार सेवक की नियुक्ति की गई है।

दोषमुक्त मस्टर रोल संधारण हेतु 15 करोड़ की लागत से पटना जिला में Biometric आधारित e-Shakti परियोजना का प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत सभी इच्छुक ग्रामीण व्यस्कों को युनिक पहचान संख्या एवं स्मार्ट–कार्ड–वितरण किया जा रहा है। अभी तक इसका मुख्य उपयोग 'नेरगा' में जॉब कार्ड बनाने, उपस्थिति बनाने एवं मजदूरी भुगतान में किया गया है। यू०आई०डी०आई०ए० द्वारा **आधार** योजना शुरू होने से e-shakti को यू०आई०डी० Compliant कर दिया जाएगा एवं इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पी०डी०एस०, सामाजिक सुरक्षा के लाभों को नागरिकों तक पहुँचाने के लिए किया जाएगा। e-shakti के तहत 45 लाख Enumeration का कार्य पटना, नालन्दा,

मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिले में किया गया है एवं पटना जिला में 6 लाख स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जा चुका है। इसे राज्य के अन्य जिलों में भी किया जाएगा।

प्रत्येक प्रखंडों एवं पंचायतों में मनरेगा काम की माँग एवं योजनाओं की सूची के संबंध में सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिससे श्रम बजट बनाने में सुविधा होगी। सर्वेक्षण के पश्चात् प्रत्येक पंचायत में ली जाने वाली योजनाओं की सूची बनेगी, जिसे आम सभा में रखा जाएगा।

वर्त्तमान में भारत सरकार से 'मनरेगा' के अन्तर्गत निधि प्राप्त होने में विलम्ब के कारण मजदूरों को ससमय मजदूरी के भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। अतः सरकार इस समस्या से निपटने के लिए एकचक्रीय निधि (Revolving fund) का निर्माण करेगी और शुरूआत के तौर पर 'मनरेगा' के लिए पूरे वर्ष में कर्णांकित राज्यांश की राशि एकमुश्त बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी को निर्गत की जाएगी एवं जैसे–जैसे केन्द्रांश उपलब्ध हो जाएगा उस चक्रीय निधि (Revolving fund) से राज्यांश का समायोजन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से मजदूरी–भुगतान की समस्या को कम किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा 'मनरेगा' के कर्मियों एवं कार्यान्वयन एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना की शुरूआत की जायगी। जिसका नाम **मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार सम्मान** योजना होगा। 'मनरेगा मेला' में प्रत्येक जिला अपनी उपलब्धियों को दर्शायेगा। सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पंचायत को 1 करोड़, प्रखंड को 50 लाख, जिला को 1 करोड़, जिला परिषद् को 1 करोड़, प्रमंडल को 50 लाख एवं अनुमंडल को 50 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने वाले पदा०/कर्म० को पुरस्कार के तौर पर निम्न प्रकार से राशि दी जाएगी। पी०आर०एस० को 25 हजार, पी०टी०ए० को 50 हजार, पी०ओ० को 1.50 लाख, कम्प्यूटर ऑपरेटर को 18 हजार, लेखापाल को 18 हजार, जे०ई० को 60 हजार, ए०ई० को 70 हजार एवं ई०ई० को 70 हजार की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।

'मनरेगा' के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले **पंचायतों का वर्गीकरण** किया जाएगा। सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत 5 Star श्रेणी में आएंगे जिन्हें पूर्व की राशि उपयोग करने पर हर बार 10 लाख रूपये की राशि निर्गत की जाएगी। शेष पंचायतों को उनके कार्य के आधार पर 3 Star एवं अन्य श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। 3 Star पाने वाले पंचायतों को पूर्व की राशि उपयोग करने पर हर बार 7 लाख की राशि निर्गत की जाएगी।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 2010–11 में दिसम्बर,2010 तक 2276.32 करोड़ रूपए व्यय कर 3 लाख 71 हजार नए मकान बनाए जा चुके हैं तथा 11 लाख 53 हजार मकान निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना हेतु 86226.06 लाख रूपये प्रस्तावित है।

प्रत्येक महीनें GPS उपग्रह द्वारा प्राप्त फोटोग्राफी के आधार पर इंदिरा–आवास–निर्माण के प्रगति की जाँच की जाएगी। जिन लाभार्थियों के द्वारा इंदिरा आवास की राशि ली गई है परन्तु इंदिरा आवास का निर्माण नहीं किया गया है उनसे राशि की वसूली नीलाम पत्र वाद के द्वारा की जाएगी।

लाभार्थी के द्वारा 6 महीनें के अन्दर आवास पूर्ण करने पर घर का बीमा राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। इंदिरा आवास के लाभार्थियों को **शौचालय** के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत के महादलितों को आवास–निर्माण में विकास–मित्रों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा एवं विकास–मित्रों को 6 महीने के अन्दर आवास पूर्ण करवाने पर 200 रू० की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार रोकने हेतु प्रतिबद्ध है। अभी तक 120 एफ०आई०आर० दायर किये गये हैं एवं उनके अनुसंधान में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस वर्ष के मई–जून माह में **BPL** सूची में आवश्यक सुधार किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आपत्ति प्राप्त कर वर्तमान BPL सूची के शुद्धीकरण का कार्य किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अन्य स्तर पर प्राप्त सूचना के आलोक में BPL सूची को शुद्ध किया जाएगा। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की भाँति राज्य **BPL आयोग की स्थापना** की जाएगी। विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग कर कालान्तर में BPL सूची में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

राज्य में 125 नये प्रखंडों में कार्यालय–भवनों का निर्माण कराया जाएगा एवं 43 प्रखंडों के भवनों को, जो जीर्णशीर्ण हैं, उनका भी निर्माण होगा एवं प्रखंड के आवासों का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा।

पंचायती राज विभाग

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (Backward Region Grant Fund) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन एवं विकास योजनाओं के अन्तराल (Gap) को भरने के

लिए राज्य के 36 जिलों को 2010–11 में 292.03 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं तथा 2011–12 में 1015 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

Integrated Action Plan के तहत 7 जिले अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, नवादा एवं रोहतास का चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत गाँव की गली, नाली का पक्कीकरण, आँगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत सरकार भवन निर्माण आदि कार्य लिए जाएंगे। वर्ष 2010–11 में 25 करोड़ प्रत्येक जिले की दर से 175 करोड़ एवं वर्ष 2011–12 में 30 करोड़ रूपये प्रत्येक जिले की दर से कुल 210 करोड़ उपलब्ध कराया जाएगा।

'मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम' के अन्तर्गत, जो पंचायते BRGF की राशि से गाँवों एवं टोलों की गलियों एवं नालियों के पक्कीकरण तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की योजना लेंगे, उन्हें समतुल्य अतिरिक्त राशि राज्य योजना से भी उपलब्ध करायी जाएगी।

राज्य के पंचायतो के कर्मचारियों, निर्वाचित सदस्यों, एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी एवं अन्य शिकायतों की जाँच हेतु **लोकपाल** की व्यवस्था की जा रही है।

त्रि–स्तरीय पचांयतराज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों द्वारा सम्पादित किए जानेवाले महत्त्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों एवं अनुसूचित जाति / जन जाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला जो BPL परिवार के हैं को विशेष मानदेय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010–11 में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

'तेरहवें वित्त आयोग' की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2010–11 में पचांयत राज संस्थाओं को कुल 461.26 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा जिसमें प्रथम किस्त 230.63 करोड़ की राशि पंचायतों को दी गयी है। वर्ष 2011–12 में 534.92 करोड़ का मूल अनुदान (Basic Grant) प्राप्त होगा तथा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 9 शर्तों को पूरा करने पर अतिरिक्त 182.91 करोड़ का Performance Grant प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने इस राशि से आँगनबाड़ी–केन्द्रों के निर्माण को प्राथमिकता दी है।

योजना एवं विकास विभाग

योजना एवं विकास विभाग का वास्तविक योजना व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 में 396 करोड़ 45 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में योजना व्यय 1335 करोड़ 34 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

"आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाते हुए प्रभावकारी जन–सहभागिता द्वारा विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करना है।'' इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पंचायत स्तर पर एक **स्वयंसेवक (पंचायत मित्र)** को प्रतिमाह 5 हजार की दर से मानदेय पर रखे जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा विशेष इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पंचायत सरकार भवन एवं पथ/पुलियों की योजनायें प्रत्येक वर्ष योजना मद से ली जा रही है एवं अन्य विभाग द्वारा भी अपनी विभागीय योजनाएँ इन चयनित पंचायतों हेतु लिये जा रहें है। योजनाओं के बीच समन्वय एवं कन्वरजेंस के बावजूद भी अगर कोई गैप रह जाता है तो इसे पाटने के लिए प्रति पंचायत 12 लाख रू० की दर से कुल 780.00 लाख रूपया 8 जिलों को विमुक्त किया गया है।

कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत 2008 में कुसहा बाँध के टूटने के कारण आयी बाढ़ से प्रभावित मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा जिलों में क्षतिग्रस्त संरचना के पुनर्वास एवं पुननिर्माण हेतु वर्ष 2010–11 में 247.37 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गयी है। कोसी क्षेत्र में आयी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सरंचना के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु बिहार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि **विश्व बैंक** द्वारा बिहार सरकार को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली राशि से क्षतिग्रस्त संरचना के पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्य को कार्यान्वित कराने हेतु **बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी** का गठन किया गया है। प्रथम चरण में विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली ऋण की राशि से आवास निर्माण, पथ एवं पुल–पुलिया, जीविका से संबंधित योजनाएं, बाढ़ प्रबंधन, तकनीकी एवं परियोजना प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। उपर्युक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रथम चरण में 10 अरब रूपये बिहार सरकार को उपलब्ध कराने के संबंध में माह जनवरी, 2011 में विश्व बैंक के साथ एक एकरारनामा किया गया है।

राज्य के **सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण** के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक केन्द्र प्रायोजित योजना Indian Statistical Strengthening Project (ISSP) की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत State Statistical Strengthening Plan तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में अनेक प्रतिवेदनों का प्रकाशन कराया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

राष्ट्रीय भू–अभिलेखों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Records Modernization Programme) : के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत डाटा इन्ट्री/री–डाटा इन्ट्री/डाटा कनवर्जन, जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर डाटा केन्द्रों की स्थापना, राजस्व कार्यालयों के बीच अन्तः सम्बद्धीकरण (Inter connectivity), सर्वे मानचित्रों का डिजिटाईजेशन, आधुनिक तकनीक से रिविजनल सर्वे तथा सर्वे एण्ड सेटलमेंट अभिलेखों का अद्यतनीकरण, अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार/भू–अभिलेख प्रबंधन व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण कार्य है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अनुदान/अंशदान के रूप में 16.33 करोड़ एवं राज्य योजना से 22.46 करोड़ रूपए उपलब्ध कराया गया है।

पूर्व में संचालित भू–अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण योजना के अन्तर्गत विगत साढ़े चार वर्षों में राज्य के कुल 45 हजार 740 राजस्व ग्रामों में से 21 हजार 144 राजस्व ग्रामों के डाटा इन्ट्री का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य में कुल 428.37 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

राज्य के 516 अंचलों में कम्प्यूटर के माध्यम से खतियान के संधारण, अद्यतनीकरण तथा वितरण हेतु हार्डवेयर की आपूर्ति, अधिष्ठापन, वायरिंग एवं नेटवर्किंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भविष्य में ऑन–लाइन दाखिल–खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए डाटा ऑन–लाइन करने की योजना है।

सर्वे मानचित्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी अंचल के 1152 सर्वे मानचित्रों को डिजिटाइज्ड किया गया। पुनः दूसरे चरण में

भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर जिले के 14672 सर्वे मानचित्रों को डिजिटाइज्ड कराया गया है।

भूमि विवादों के त्वरित एवं प्रभावकारी समाधान हेतु पूर्व की प्रक्रिया को सरल करते हुये DCLR को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, जिन्हें प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तीन माह के भीतर करना है। DCLR द्वारा निष्पादित मामलों के विरूद्ध अपील सीधे संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में की जा सकेगी। इस संशोधित प्रक्रिया से भूमि–विवादों का समाधान शीघ्र हो सकेगा और विधि–व्यवस्था की समस्या में कमी आ सकेगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में नगर विकास एवं आवास विभाग का वास्तविक योजना व्यय 218 करोड़ 67 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का 919 करोड़ 50 लाख रूपये निर्धारित है।

आम नागरिकों को अपने **होल्डिंग टैक्स** का स्व–कर निर्धारण की सुविधा प्रदान करते हुए प्रोत्साहन के विशेष उपाय किये गये हैं। अग्रिम भुगतान पर करदाताओं को 15% की छूट देकर प्रोत्साहित किया गया तथा समय पर भुगतान न करने वालों के लिए 2% प्रति माह की दर से दंड का भी प्रावधान किया गया है।

शहरों में अवस्थित **पार्कों का विकास** सरकार की प्राथमिकता है। पटना में भव्य **बुद्ध स्मृति पार्क** का निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो गया है, जिस पर कुल 100 करोड़ रूपये व्यय हो चुके हैं। पटना के 59 अन्य पार्कों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में होगा। पटना के 15 पार्कों का निर्माण पूर्ण हो गया है। राज्य के अन्य शहरों में भी पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है।

जन–निजी–भागीदारी (Public Private Partnership) प्रक्रिया के अन्तर्गत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया शहर के कुछ वार्डों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था लागू हो चुकी है। बिहारशरीफ, आरा एवं दरभंगा शहरों में भी यह प्रक्रिया अपनायी जा रही है। बिहार राज्य अंतर्गत 9 शहरों यथा – गया, औरंगाबाद, सासाराम, बोधगया, आरा, बिहारशरीफ, दरभंगा, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर के **बस स्टैंड** को लोक–निजी–भागीदारी से विकसित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (BUIDCO) का गठन शहरी योजनाओं के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए किया गया था। BUIDCO द्वारा शहरी विकास की 22 योजनायें, जिनकी कुल प्राक्कलित राशि 1807.50 करोड़ है, का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। **मुख्यमंत्री नगर विकास योजना** के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें सड़क, नाला तथा पार्कों का विकास भी सम्मिलित है। 2008–09 से अब तक कुल 700 करोड़ की राशि जिलों को आवंटित की गयी है।

नगर–निकायों में संविदा के आधार पर एक–एक पूर्णकालिक नगर प्रबंधक की नियुक्ति की गयी है। कुल 114 नगर निकायों में **नगर प्रबंधकों** ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा तथा उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक नीतियों पर सरकार कार्य कर रही है, जिनमें **स्लम पॉलिसी, अरबन सेनिटेशन स्ट्रेटजी, हाउसिंग पॉलिसी, रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, कम्युनिटी पार्टीसिपेशन लॉ, बिहार स्ट्रीट वेण्डर (प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीउड एंड रेगुलेशन ट्रेंड बिल, 2011)** एवं **टाऊन एंड कन्ट्री प्लानिंग ऐक्ट, रीयल स्टेट ऐक्ट** प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार (NGRBA) के अंतर्गत कुल चार सीवरेज परियोजनाओं (हाजीपुर : 113.62 करोड़ रू०, बेगूसराय: 65.40 करोड़ रू०, बक्सर : 74.95 करोड़ रू० एवं मुंगेर : 187.89 करोड़ रू०) की स्वीकृति मिली है। पटना के गंगा तट के सौन्दर्यीकरण तथा विकास की रू० 150 करोड़ की योजना स्वीकृति हेतु NGRBA भेजा जायेगा। **JNNURM के अंतर्गत** 2481.06 करोड़ की योजनाओं के विरूद्ध 2004.73 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इन योजना का कार्यान्वयन विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से किया जा रहा है।

DFID की सहायता से राज्य के 28 शहरी निकायों के क्षमतावर्द्धन के लिए Support Programme for Urban Reform प्रारम्भ किया गया है, जो 6 वर्षों तक जारी रहेगा। संबंधित विषयक 350 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत है, जिसमें से 292 करोड़ रूपये आर्थिक सहयोग तथा 58 करोड़ रूपये तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध है। Asian Development Bank (ADB) द्वारा भी Bihar Urban Development Project तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता देने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया जा चुका है। कुल 900 करोड़ रूपये का ऋण प्रस्तावित है। इस योजना में पेयजल, ड्रेनेज तथा सीवरेज की योजनाएँ ली जायेंगी।

'13वें वित्त आयोग' की अनुशंसा के आलोक में नगर–निकायों को वर्ष 2010–11 में 67.18 करोड़ अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में 78.61 करोड़ का प्रावधान है तथा 9 शर्तो को पूरा करने पर Performance Grant के रूप में 26.88 करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।

समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में समाज कल्याण विभाग का वास्तविक योजना व्यय 213 करोड़ 53 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 1739 करोड़ 62 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

समाज कल्याण विभाग के अधीन बच्चों, महिलाओं, विधवाओं निःशक्तजनों, वृद्धजनों एवं असहाय वर्गों के लिये योजनाएँ संचालित हो रही हैं।

राज्य में 544 **बाल विकास परियोजनाओं** के अधीन 80,797 **आँगनबाड़ी केन्द्र** स्वीकृत हैं, जिनमें से 80,211 केन्द्र क्रियाशील हैं। इसके अलावा **5440 अतिरिक्त आँगनबाड़ी** केन्द्र तथा 5440 **मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र** स्वीकृत हैं। इन केन्द्रों द्वारा 79 लाख से अधिक बच्चों एवं महिलाओं में **Take Home Ration** प्रत्येक माह की 15 तारीख को पूरक पोषाहार के रूप में वितरित किया जाता है। वर्ष 2010–11 में 931.08 करोड़ का प्रावधान है तथा 2011–12 में 1027.60 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन में सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाएगा तथा 3034 **महिला पर्यवेक्षिकाओं** की नियुक्ति कर गुणात्मक सुधार लाया जाएगा, साथ ही सभी पंचायतों में Model आँगनबाड़ी विकसित किया जाएगा।

वर्तमान में मात्र 4828 आँगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन है। 724 आँगनबाड़ी केन्द्र बिहार शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत तथा 2595 केन्द्र, भवन–निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 'नाबार्ड' से 157.18 करोड़ ऋण लेकर 3066 भवन के निर्माण का लक्ष्य है। पंचायतराज संस्थाओं द्वारा '13 वें वित्त आयोग' की अनुशंसा एवं 'पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान' की राशि से भी केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3–6 वर्ष के नामांकित बच्चों को राज्य सरकार अपने संसाधन से प्रति वर्ष प्रति बच्चा 250 रू० की दर से पोशाक खरीदने हेतु राशि देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2010–11 में 80.79 करोड़ का

प्रावधान कर 22.70 लाख बच्चों को पोशाक का लाभ दिया गया है। वर्ष 2011–12 में 36.67 लाख बच्चों को 91.67 करोड़ का लाभ देने का लक्ष्य है।

महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रमों में Convergance सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **स्टेट मिशन प्राधिकार** का गठन किया गया है। **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के** अन्तर्गत BPL परिवार तथा 60 हजार तक वार्षिक आय वाले परिवार को विवाह के समय 5 हजार रूपये का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2010–11 में 70 करोड़ कर्णांकित है, जिससे 85 हजार कन्याएँ लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2011–12 में 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना–** जिसमें प्रथम दो कन्या संतानों के जन्म के अवसर पर 2 हजार रू० UTI में निवेशित किए जाते हैं, को कन्या के 18 वर्ष पूरा होने पर परिपक्व राशि के रूप में बचत खाता से आहरित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत वर्ष 2010–11 में 80 करोड़ का प्रावधान था। 19 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में 90 करोड़ का प्रावधान निर्धारित है। अभी तक 10 लाख BPL परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया है।

राज्य के दो जिले वैशाली एवं सहरसा में सर्वेक्षित 1.04 लाख गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को बच्चे के प्रथम 6 माह की उम्र होने तक 4 हजार रूपए की नगद प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में देने का प्रावधान किया जा रहा है । **मुख्यमंत्री कन्या संवासिन विवाह अनुदान योजना** के अन्तर्गत सरकार द्वारा संचालित गृहों में आवासित अनाथ कन्याओं को विवाह के अवसर पर 21 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न पेंशन योजनाओं द्वारा **वृद्धजनों, विधवाओं, विकलांग निःशक्तजनों** को 200/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2008–09 में 20 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया था। वर्ष 2010–11 में अभी तक 35.75 लाख लोगों को इन योजनाओं में शामिल किया किया गया है। वर्ष 2011–12 में सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए पेंशन स्वीकृति का प्राधिकार अनुण्डल पदाधिकारी में निहित कर दिया गया है, जो पहले जिला स्तर पर केन्द्रित था। विकलांगता प्रमाण पत्र भी अब प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा रेफरल अस्पताल के चिकित्सकों को निर्गत करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। वर्ष 2011–12 में 877.62 करोड़ रू० व्यय का अनुमान है। पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर डालने की कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं **कबीर अन्त्येष्टि अनुदान** योजना के माध्यम से BPL परिवार में मृत्यु के बाद उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान हेतु 10 हजार तथा शवों की अन्त्येष्टि हेतु 1,500/– का भुगतान किया जाता है। 'राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना' में वर्ष 2011–12 में 42 करोड़ एवं 'कबीर अत्न्येष्टि योजना' में 21 करोड़ व्यय प्रस्तावित है।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। वर्ष 2010–11 में 31 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है, जिसके लिए 129.62 करोड़ रू० की राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधा वृत्ति योजना के अन्तर्गत वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें 10,000/–रू० देने की योजना 2008–09 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2010–11 में इस योजना के तहत् 16 हजार छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए संचालित छात्रवृत्ति की दरों को 1998–99 के बाद संशोधित नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2011 से इसमे वृद्धि का निर्णय किया है, जिसके अनुसार सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों में 3 गुणा से ज्यादा की वृद्धि की गयी है। कक्षा 1 से 4 के लिए 15 रू० से बढ़ाकर 50 रू०, कक्षा 5–6 को 30 रू० से बढ़ाकर 100 रू०, कक्षा 7–9 के लिए 55 रू० से बढ़ाकर 150 रू०, मुसहर–भुईयां छात्रवृत्ति कक्षा I-VI को 30 रू० से बढ़ाकर 100 रू०, तकनीकी छात्रवृत्ति वर्ग 1 से 10 के लिए 150 रू० प्रति माह से बढ़ाकर 500 रू० प्रति माह, छात्रावासी वर्ग 1 से 10 को 80 रू० प्रति माह को बढ़ाकर 250 रू० प्रति माह कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के **आवासीय विद्यालय** में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वर्ग में 40 आसन करने का निर्णय लिया गया है। 60 आवासीय उच्च विद्यालय में 248 के स्थान पर 400, मध्य विद्यालय में वर्ग 1–6 तक 88 के स्थान पर 240, 12 प्राथमिक विद्यालय में 100 के स्थान पर 200 आसन प्रति विद्यालय किया जाएगा। परिणामतः 16 हजार 128 के स्थानों पर 26 हजार 640 अनु० जाति/अनु० जनजाति छात्र इसका लाभ उठा सकेगें।

अनु० जाति/अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवा, पठन–पाठन सामग्री, तेल, साबुन, सोडा आदि के प्रावधानों में संशोधन एवं दर वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कक्षा 1–5 के भोजन हेतु 900 रू०/माह एक एवं कक्षा 6–12 तक 1200/– माह, वस्त्र हेतु 1500 एवं 1875/– माह, पठन–पाठन हेतु एक हजार एवं 1250 रू० प्रति वर्ष प्रति छात्र का प्रावधान किया गया है।

महादलितों के विकास हेतु **बिहार महादलित विकास मिशन** नामक संस्था गठित है। इस मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास हेतु कई प्रकार के आर्थिक उन्नयन एवं आधारभूत संरचना की योजना ली गयी है। **दशरथ मांझी कौशल विकास योजना** के तहत फेज–2 में 23 नये ट्रेड प्रारंभ करने की योजना है। राज्य के विभिन्न जिलों में 8805 विकास मित्रों का चयन किया गया है। विकास–मित्रों को साइकिल हेतु सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गयी है। वर्ष 2010–11 में 98.00 करोड़ रू० मिशन को उपलब्ध करा दिया गया है।

समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण का गठन बेतिया (प० चम्पारण) में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया जा चुका है। तत्काल जिला प्रशासन द्वारा 10 अनु० जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। वर्ष 2010–11 में इस योजना के लिए कुल 8.22 करोड़ रू० की राशि जिला को आवंटित की गयी है। अनु० जाति के नवसृजित 13 आवासीय बालिका उच्च विद्यालयों एवं एक बालक उच्च विद्यालय का संचालन प्रारम्भ किया गया है।

बिहार महादलित विकास योजना के अन्तर्गत राज्य के वास रहित महादलित परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत रैयती भूमि की क्रय–नीति के तहत बीस हजार रूपये प्रति 3 डिसमिल भूमि प्रति परिवार के लिए क्रय कर वास रहित महादलित परिवारों को उपलब्ध करायी जा रही है । राज्य में 74,404 महादलित परिवार सर्वेक्षित हैं। रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत अबतक (वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11) 17,379 महादलित परिवारों को 34 करोड़ 30 लाख रूपये व्यय कर 521.31 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त गैरमजरूआ आम/खास भूमि एवं अन्य प्राप्त भूमि कुल 2851.92 एकड़ भूमि का आवंटन 94.841 महादलित परिवारों को किया गया है। इस **योजना में अब पासवान जाति** को भी शामिल किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये सभी जिलों में 2–2 छात्रावासों का निर्माण किया जाना है। 27 छात्रावासों का निर्माण पूरा हो गया है। **जन–नायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना** के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक छात्रावास का निर्माण किया जाना है। कुल 34.95 करोड़ पुल निर्माण निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। बेगूसराय किशनगंज, रोहतास एवं कैमूर में निर्माण प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2010–11 में 12 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्री मैट्रिक, प्रवेशिकोत्तर, उच्च विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2010–11 में कुल 9 लाख 86 हजार छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का उपबंध था तथा वर्ष 2011–12 में 12 लाख 76 हजार छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना के अंतर्गत मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में आने वाले छात्र–छात्राओं को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 2010–11 में 49,710 छात्रों को 49 करोड़ 71 लाख रू० प्रदान किए जाएँगे।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के वास भूमि रहित परिवारों को जिन्हें सरकारी भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, को तीन डिसमल रैयती भूमि प्रति परिवार क्रय कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का योजना व्यय 12 करोड़ 53 लाख था, जबकि 2011–12 के बजट में 90 करोड़ रूपये निर्धारित है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विकासात्मक योजनाओं के लिए वर्ष 2001–02 से 2004–05 के चार वर्षों में मात्र 13.38 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया था। इसके विपरीत राजग सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2005–06 से 2010–11 तक लगभग 641.75 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है। **कब्रिस्तान की घेराबंदी** तथा **हुनर** एवं **तालिमी मरकज** जैसी योजनाओं के लिए अन्य विभागों द्वारा प्रतिवर्ष व्यय की जा रही राशि इसके अतिरिक्त है।

प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों एवं छात्राओं को 10,000/– रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने से मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति एक नयी बेदारी आयी है। वर्ष 2007 में मात्र 2627 विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत लाभ मिला। वर्ष 2008 एवं 2009 में क्रमशः 5688 एवं 12,696 विद्यार्थी इस राशि के पात्र हुए। वर्ष 2010 की माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 20,225 छात्र–छात्राओं को इस योजनान्तर्गत राशि का वितरण किया जा रहा है।

मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2007 में 737, वर्ष 2008 में 931 तथा वर्ष 2009 में 3326 महिलाओं को दस–दस हजार रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष 3000 से अधिक महिलाओं का चयन इस योजना के अंतर्गत अबतक किया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा बिहार को दी गयी राशि वापस नही करने के कारण राष्ट्रीय निगम ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को ऋण देना बंद कर दिया था। राज्य सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को लगभग 20 करोड़ रूपये वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में हिस्सा पूंजी के रूप में उपलब्ध करा दिया है, जिससे राष्ट्रीय निगम के ऋण का भुगतान हो सकेगा। 'सुशासन के कार्यक्रम' अन्तर्गत दो नई योजनाएँ यथा– **'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना'** तथा **'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना'** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं विकास करना आवश्यक है। सरकार वक्फ बोर्ड को प्रतिवर्ष प्रशासनिक अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त वक्फ सम्पत्तियों के ब्यौरे के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक व्यापक योजना बनाई गई है, जिसके लिए 50 लाख रूपये का प्रावधान भी किया गया है। इस कार्य हेतु कम्प्यूटर सेंटर स्थापित कर लिया गया है।

उद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में उद्योग विभाग का वास्तविक योजना व्यय 19 करोड़ 71 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 472 करोड़ 44 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने **राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद** का गठन किया था, जिसके समक्ष अबतक 1,99,000 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

इन प्रस्तावों में से कुल 53 इकाइयों का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें 1761 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। इसी प्रकार 93 इकाइयों का कार्य प्रगति पर है। इससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं के और भी सरलीकरण तथा निवेश के अनुश्रवण के लिये सेल के गठन की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य में **खाद्य प्रसंस्करण** पर आधारित उद्योगों की संभावना प्रबल है। इसके लिये **विजन डक्यूमेंट–2015' (Vision Document 2015)** तैयार किया गया है, जिसमें 16 बिजनेस प्लान की अनुशंसा की गई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 28 प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 11 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अनुदान स्वीकृत किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये वर्तमान वर्ष 2011–12 में 216 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2006 के तहत उद्यमियों को कई सुविधायें प्रदान की गयी हैं। इस नीति को राज्य सरकार ने दिसम्बर–2011 तक तत्काल विस्तारित किया है। 'नयी औद्योगिक नीति' तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। जूट प्रक्षेत्र में **जूट पार्क** की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा जूट प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नीति मूलक निर्णय लिये जा रहे हैं।

वर्ष 2011–12 में 'बिसिको' एवं 'बी०एस०एफ०सी०' के माध्यम से वित्त पोषण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इसके लिये 40 करोड़ रूपये का प्रावधान इन दोनों निगमों के लिये किया गया है। 'बियाडा' के कार्यों को सरल किया जायेगा तथा उद्यमियों को पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर भूमि का आबंटन होगा। **लैण्ड बैंक** की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना प्राधिकार को 1000 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी है। इसके माध्यम से भूमि अर्जित की जाएगी, ताकि सरकारी कार्यों के साथ–साथ निवेशकों को उसे उपलब्ध कराया जा सके।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में कुल 830 इकाइयाँ कार्यरत थीं, जो 2010–11 में बढ़कर 923 हो गईं। गत वर्ष कुल 611 इकाइयों के बीच 896.60 एकड़ भूमि आवंटित की गयी, जिसकी परियोजना लागत 6516.92 करोड़ है। बियाडा एवं 'बिहार राज्य वित्तीय निगम' (BSFC) के बीच समझौते के तहत बियाडा द्वारा 24 करोड़ रू० का भुगतान कर BSFC से 127.34 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है। इसी तर्ज पर बियाडा अन्य वित्तीय संस्थानों से समझौता कर 700 एकड़ भूमि प्राप्त करने का काम कर रही है।

'बियाडा' द्वारा गत वित्तीय वर्ष में ब्रिटेनिया बिस्कुट, पारलेजी, बसंल बिस्कुट, सोना बिस्कुट, ऑरो सुन्दरम् (Starch & Liquid Glucose), तीन सीमेन्ट कम्पनियाँ, 4 एस्वेस्टस, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज एवं 2 पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन किया गया है।

सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

Bihar State Wide Area Network (BSWAN) 256.32 करोड़ की इस परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मुख्यालय, 37 जिला मुख्यालय तथा 495 ब्लॉक मुख्यालय आपस में जुड़ गए हैं। वर्तमान वर्ष में सभी 533 प्रखण्ड मुख्यालय जुड़ जाएँगे। वर्तमान में राज्य की सभी ट्रेजरियाँ एवं VAT कार्यालय इसका उपयोग कर रहे हैं।

Bihar HORIZONTAL State Wide Area Network (BHSWAN) 536 करोड़ की योजना 5 वर्षों में पूरी की जानेवाली है, जिसके क्रियान्वयन होने से राज्य मुख्यालय का नेटवर्क जिला मुख्यालय परिसर एवं प्रखण्ड मुख्यालय परिसर के अवस्थित सभी कार्यालयों को जोड़ दिया जाएगा।

सेक्रेटेरियट लोकल एरिया नेटवर्क (Sec Lan) के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय स्थित 13 सचिवालय भवनों को आपस में तथा B-SWAN एवं Data Centre से जोड़ा गया है। वर्ष 2011–12 में Sec Lan Phase II प्रारम्भ किया जाएगा।

'वसुधा' कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना राज्य के सभी 8463 पंचायतों में की जानी है। वर्तमान में लगभग 6 हजार पंचायतों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से स्थापना की जा चुकी है। शेष 2463 वसुधा केन्द्रों की स्थापना 2010–11 के अन्त तक कर दी जाएगी।

ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत पायलट स्तर पर नालन्दा, मधुबनी, औरंगाबाद, एवं गया जिलों में G2C (Govt to Citizen) सेवाएँ, 94 Common Facilitation Centre में स्थापित की जानी हैं, जिनमें 67 CFC स्थापित किए जा चुके हैं।

53 करोड़ की लागत से बेल्ट्रान भवन में State Data Center के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। यह राज्य का शीर्ष Data Repository होगा।

ई–क्रय (E-procurement) के अन्तर्गत 7 कार्य विभागों में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय ई–क्रय प्रणाली से हो रहा है। अभी तक कुल 1008 निविदाओं को निष्पादित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिनमें 636 निविदाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।

गन्ना उद्योग विभाग

गन्ना कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले ईख के **अधिक उपजशील प्रभेदों** को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14.22 करोड़ रू० के व्यय से 11 चीनी मिलों के क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के 6 किसानों को 6–6 क्विंटल **आधार बीज** तथा 3000/– का उपादान उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही गन्ना उत्पादन का आच्छादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को 5 लाख क्विंटल **उन्नत प्रभेद** के गन्ना बीज **अनुदानित दर** पर उपलब्ध कराया जा रहा है। गन्ना फसल को **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** में शामिल किया गया है। ईख अनुसंधान संस्थान पूसा में गन्ना किसानों के लिए **निःशुल्क कॉल सेन्टर** स्थापित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रोत्साहन पैकेज से प्रेरित होकर हरिनगर, न्यू स्वदेशी, भारत सूगर, रीगा, मझौलिया एवं हसनपुर चीनी मिल ने अपनी क्षमता का विस्तार कर लिया है। हरिनगर, रीगा तथा नरकटियागंज ने या तो नई डिस्टलरी या क्षमता विस्तारीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इन तीनों डिस्टीलरियों में Ethanol का भी उत्पादन हो रहा है। नरकटियागंज एवं सिधवलिया चीनी मिल में विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है। अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति BSEB को की जा रही है। चीनी मिलों ने क्षमता विस्तार पर 397.26 करोड़ तथा **इथेनाल** निर्माण पर 55.34 का पूँजी निवेश किया है। वर्ष 2009–10 में गन्ना मिलों ने 272.65 लाख क्विंटल गन्ना किसानों से खरीदा, जिसके विरूद्ध 537.75 करोड़ रू० का भुगतान किया गया है।

बिहार राज्य चीनी निगम की बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु चल रहे कार्य के अंतर्गत लौरिया एवं सुगौली इकाई का HPCL को हस्तांतरण का कार्य लगभग समाप्ति पर है। दोनों स्थलों पर HPCL 3500 TCD की चीनी मिल, 60 KLPD की डिस्टीलरी एवं 20 MW सह विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसी माह में इन इकाइयों में उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है। लौरिया एवं सुगौली इकाई में कुल 615 करोड़ रूपये निवेशित किये जा चुके हैं।

रैयाम एवं सकरी इकाई को मे० तिरहुत इंडस्ट्रीज लि० को हस्तांतरित किया गया है। रैयाम इकाई के लिए निविदित राशि का 10+40 प्रतिशत राशि जमा किया जा चुका है तथा सकरी इकाई का एल०ओ०आई० स्वीकार करते हुए 10 प्रतिशत राशि जमा की गयी है। मोतीपुर को मे० इंडियन पोटाश लि० द्वारा एल०ओ०आई० स्वीकार करते हुए

निविदित राशि की 10+40=50 प्रतिशत राशि जमा की गयी है तथा कम्पनी द्वारा इसे 18 माह के अंदर 350 करोड़ का निवेश कर चलाने का प्रस्ताव है। बिहटा इकाई को मे० प्रिस्टाईन लौजिस्टिक एंड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि० द्वारा एल०ओ०आई० स्वीकार करते हुए बीड राशि का 10 प्रतिशत जमा किया जा चुका है। बिहार राज्य चीनी निगम की शेष बची इकाइयों एवं अतिरिक्त उपलब्ध फार्म लैंड बिहार राज्य आधारभूत संरचना प्राधिकार (IIDA) को हस्तानान्तरण करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्रम संसाधन विभाग

राज्य में शिक्षित युवक–युवतियों को स्वालम्बी बनाने हेतु राज्य में वर्त्तमान में 42 सामान्य एवं 9 महिला **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** तथा निजी क्षेत्र में 350 केन्द्र चल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में 24 नए सरकारी ITI प्रारम्भ किए गए हैं। सरकारी ITI में वर्ष 2010 में लगभग 10 हजार छात्रों का नामाकंन लिया गया है। वर्ष 2011–12 में 4 नए ITI तथा 1 (एक) महिला ITI खोलने का प्रस्ताव है। ITI के सभी छात्रों को अंग्रेजी और कम्प्यूटर शिक्षा देने का प्रस्ताव है।

जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर **नियोजन मेला** का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 के नियोजन मेला के माध्यम से अब तक 40,553 लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। नियोजनालयों से अनाच्छादित राज्य के 10 जिलों में नियोजनालय स्थापित करने तथा बेरोजगारो को On-Line निबंधन की सुविधा का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत BPL परिवार को 30 हजार रूपये तक की स्वास्थ्य–सुविधा का प्रावधान है। 16 जिले इससे आच्छादित हैं तथा 11 जिलों में प्रारंभ करने की योजना है। कुल 23.79 लाख परिवारों का 43.72 करोड़ प्रीमीयम भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया है। 88 हजार रोगियो ने 41.37 करोड़ रूपए की चिकित्सा का लाभ उठाया है।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकार ने 25 एकड़ भूमि बिहटा (पटना जिला) में उपलब्ध करा दी है, जिसमें तेजी से निर्माण चल रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत 52 हजार श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत संचालित 19 चिकित्सालयों से चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

ग्रामीण भूमिहीन परिवार को **आम आदमी बीमा योजना** से आच्छादित किया जाता है।

राज्य में 18 लाख 93 हजार भूमिहीन परिवारों का बीमा कराया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम से 747 व्यक्तियों को सामान्य मृत्यु, 37 व्यक्तियों को दुर्धटना मृत्यु, कुल 784 व्यक्तियों को लाभ दिलाया गया है। 681 छात्र–छात्रों को इस योजना से छात्रवृत्ति दी जा रही है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत राज्य में 10 लाख की लागत से अधिक निर्माण कार्य कराने वाले संवेदकों से लागत का 1 प्रतिशत सेस (cess) के रूप में वसूलनीय है। इसके तहत गठित **कर्मकार कल्याण बोर्ड** निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 12 कल्याणकारी योजनाएँ चला रहा है। सेस मद में 10 फरवरी, 2011 तक 103 करोड़ 48 लाख रूपए जमा हुए हैं।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को एक लाख रू० भुगतान का प्रावधान है। 31 मार्च 2010 तक 108 प्रवासी मजदूरी के परिवार को एक–एक लाख रूपया दिया गया है। वर्ष 2010–11 में 1 करोड़ 49 लाख जिला पदाधिकारियों को आवंटित किया गया है। **बाल श्रम उन्मूलन** के तहत गठित **धावा दलों** द्वारा 5245 निरीक्षण कर दोषी पाए गए 262 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर कर 380 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' के अन्तर्गत वर्तमान में 88 नियोजनों में 1 नवम्बर, 2010 के प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण/निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार कृषि कार्य में न्यूनतम मजदूरी रू० 114/– एवं अन्य कार्यो में 119 रू० हो गया है।

गृह विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में गृह विभाग का वास्तविक योजना व्यय 9 करोड़ 90 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में इस विभाग का योजना व्यय 400 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

इसमें पुलिस प्रशासन के ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु 130 करोड, कब्रिस्तानों की घेराबन्दी के लिए 90.89 करोड़ रू०, कारा विभाग हेतु 40 करोड़ तथा अग्निशाम सेवा एवं गृह रक्षा वाहिनी के लिए 51 करोड़ रूपये का उद्व्यय निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2006 के अगस्त माह तक मात्र 100 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो पायी थी। हमारी सरकार में 2347 कब्रिस्तानों की घेराबंदी जनवरी 2011 तक पूर्ण की जा चुकी है तथा 1464 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम चल रहा है। इस योजना पर अबतक कुल 249 करोड़ रूपया की राशि उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2011–12 में भी 90 करोड़ 67 लाख का प्रस्ताव किया गया है।

राज्य में **काराओं के सुदृढ़ीकरण** की कार्रवाई द्रुत गति से चल रही है। डुमराँव में राज्य की पहली खुली जेल का निर्माण भी अतिशीघ्र पूरा होने वाला है। काराओं में जेनरेटर, कम्प्यूटर सेन्टर, बिजली के पंखे, टेलिविजन, एल०पी०जी० बुकिंग प्रणाली, क्लोज सर्किट टी०वी०, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा एवं अन्य अत्याधुनिक सुरक्षात्मक उपकरण का अधिष्ठापन किया जा रहा है। बंदियों को स्वरोजगार हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बेऊर जेल में एक आधुनिक **बेकरी प्लांट** भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें बंदी, उत्पादन के साथ–साथ तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे।

17 वर्षों के बाद 10 हजार 922 **गृह रक्षकों** का नव नामांकन एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए दंगा विरोधी ड्रिल का गहन प्रशिक्षण शुरू किया गया है, बाद में आर०ए०एफ० से उन्हें प्रशिक्षित कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा **गृह रक्षकों** का दैनिक भत्ता 125 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह–अनुदान की राशि 50,000/– (पचास हजार रूपये) से बढ़ाकर 1,00,000/–(एक लाख रूपये) कर दी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में **अग्निशाम सेवा** को भी चुस्त दुरूस्त किया जा रहा है। इस हेतु 57 अनुमंडल, जो जिला मुख्यालय से दूर हैं, उनमें अग्निशामालय स्थापित करने हेतु अग्निशाम वाहनों का क्रय किया जा चुका है तथा उन अग्निशाम केन्द्रों के लिए भवन निर्माण आदि की योजना बनाई जा रही है।

जय प्रकाश आन्दोलन के दौरान मीसा एवं डी०आई०आर० में 1–6 माह से अधिक निरूद्ध व्यक्तियों के लिए क्रमशः 2500/– एवं 5000/– मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उपर्युक्त योजना के तहत 1909 जे०पी० सेनानियों एवं उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी गयी है, जिनमें से 1343 व्यक्तियों को पेंशन भुगतान किया जा रहा है। शेष लाभार्थियों के बैंक खाता में राशि सीधे जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य जे०पी० सेनानियों से संबंधित मामलों की जाँच चल रही है।

उपर्युक्त कोटि के व्यक्तियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में राज्य के अन्दर मुफ्त यात्रा की सुविधा, राज्य सरकार के अस्पतालों एवं सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी अस्पतालों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित गैर सरकारी अस्पतालों में स्वयं एवं पति/पत्नी के लिए चिकित्सीय सुविधा तथा पहचान–पत्र की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

विधि विभाग

राज्य में 30 परिवार न्यायालय एवं 183 फास्ट ट्रेक कोर्ट कार्यरत हैं। वर्ष 2009 में कुल 17,278 मामलों का निष्पादन किया गया है। **'न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान'** के भवन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 4.65 करोड़ का प्रावधान था तथा शेष 12.27 करोड़ का भी प्रावधान किया जा रहा है। 'राज्य दंडादेश परिहार पर्षद' के निर्णयानुसार 106 आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त किया गया है। मुंसिफ का आर्थिक क्षेत्राधिकार 30 हजार रूपए से बढ़ाकर 1.5 लाख तथा जिला न्यायाधीश के अपील का आर्थिक क्षेत्राधिकार 2 लाख से बढ़ाकर दस लाख किया गया है।

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के पाँच वर्षों में सुबह/सायंकालीन न्यायालयों पर 213.32 करोड़, न्यायिक पदाधिकारियों एवं सरकारी अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण पर 34.29 करोड़, विरासत न्यायालय भवन के Restoration एवं संरक्षण पर 38.58 करोड़, लोक अदालत कानूनी सहायता पर 25.72 करोड़, बिहार न्यायिक अकादमी पर 15 करोड़, न्याय मंडलों में Mediation केन्द्रों के निर्माण पर 40.76 करोड़ तथा प्रत्येक न्यायमंडल में एक–एक Court Manager तथा उच्च न्यायलय में 2 कोर्ट मैनेजर पर 16.30 करोड़ रू० व्यय किए जाएँगे। कुल मिलाकर '13वें वित्त आयोग' की अनुशंसा पर 2010–11 से 5 वर्षों में 384.97 करोड़ रू० व्यय किए जाएँगे।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

वर्ष 2011–12 में वर्त्तमान में सर्वेक्षित कुल 1.35 करोड़ बी०पी०एल० परिवारों को **लक्षित जन वितरण प्रणाली** के अन्तर्गत अनुमानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत सभी 1 करोड़ 10 लाख बी०पी०एल० परिवारों को 25 किलो एवं 'अन्त्योदय अन्न योजना' के तहत 25.01 लाख बी०पी०एल० परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार

की दर से प्रति माह 2.00 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूँ एवं 3.00 रूपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में 3 लीटर एवं शहरी क्षेत्र में 2.5 लीटर प्रति परिवार प्रति माह की दर से अनुदानित किरासन तेल उपलब्ध कराया जाएगा।

वर्ष 2011–12 में भी 'राशन एवं किरासन–कूपन–योजना' लागू रहेगी तथा सभी परिवारों (बी०पी०एल० / ए०पी०एल०) को नया बार कोडेड (Bar coded) कूपन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि एक पंचायत के कूपन का दूसरे पंचायत में दुरूपयोग नहीं हो सके।

'खरीफ विपणन मौसम 2010–11' में 10.50 लाख मे० टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के कुल 38 'जिला उपभोक्ता फोरमों' में अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के 09 पुरूष सदस्यों एवं 05 महिला सदस्यों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि जन–वितरण–प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्ति प्रत्येक पंचायत में तत्काल एक–एक पैक्स को दी जाएगी। भविष्य में स्वयं सहायता समूहों या ऐसे समूहों से ही जन–वितरण की दुकान संचालित करायी जाएँगी।

राज्य के सभी गरीब परिवारों को अनुदानित दर पर अनाज मुहैय्या कराने हेतु भारत सरकार से मिलने वाले आवंटन के अलावा राज्य सरकार अपने संसाधन से अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत अनाज की अधिप्राप्ति कर इस कार्य को पूरा करेगी। इस क्रम में 52.70 करोड़ रूपये का अतिरिक्त गेंहूँ एवं चावल खरीदकर बढ़े हुए BPL परिवारों के बीच वितरित किया गया है ।

वर्ष 2011—12 में BPL परिवारों का खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से अनाज खरीदकर खाद्यान्न की आपूर्ति करेगी जिस हेतु 299.99 करोड़ रूपयें का उपबन्ध किया गया है।

केन्द्र से प्राप्त खाद्यान्न के उठाव में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2009–10 में BPL गेहूँ के आवंटन का 86 प्रतिशत तथा चावल का 57 प्रतिशत उठाव हुआ था, वहीं 2010–11 में गेहूँ का उठाव 99 प्रतिशत तथा चावल का उठाव 82 प्रतिशत हो गया है।

'बिहार राज्य खाद्य निगम' के व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2008–09 में निगम का कुल टर्न–ओवर 1120.29 करोड़ रूपये था, वह 2009–10 में बढ़कर 1653.65 करोड़ रूपये हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 47.60 प्रतिशत ज्यादा है।

पर्यटन विभाग

वित्तीय वर्ष 2005–06 में पर्यटन विभाग का वास्तविक योजना व्यय 7 करोड़ 42 लाख था। वर्ष 2011–12 में इस विभाग का योजना व्यय 30 करोड़ 43 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

सात वर्षों से लगातार विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में 69,871 पर्यटक अधिक आए। वर्ष 2004 में राज्य में मात्र 38 हजार 118 विदेशी पर्यटक आए, वहीं वर्ष 2010 में 4 लाख 92 हजार विदेशी पर्यटकों ने बिहार के बोधगया, नालंदा, राजगीर, पटना के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में **बिहार पर्यटन नीति 2009** की अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। **पर्यटन सुरक्षा बल** के गठन का निर्णय, पटना में गंगा नदी पर 48 सीटर वातानुकूलित फ्लोटिंग रेस्तरां का संचालन, बोधगया स्थित होटल प्रबंधन संस्थान में शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ, फूड क्राफ्ट इंन्स्टिच्यूट मुजफ्फरपुर की स्थापना की स्वीकृति आदि कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

बराबर पहाड़, जहानाबाद; जैन मंदिर परिसर, पावापुरी; देशरत्न डॉ राजेन्द्र प्रसाद समाधि स्थल, पटना; बोधगया में धर्मारण्य देवी, योग एवं ध्यान केन्द्र; खानाकाह मुजिबिया, फुलवारीशरीफ; नये आकाशीय रज्जूपथ, राजगीर का निर्माण; अंतीचक विक्रमशिला, भागलपुर एवं केसरिया बौद्ध स्तूप के समीप पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु भू–अर्जन; पटना जिलान्तर्गत महेन्द्रू घाट, कलक्ट्रीयट घाट एवं काली घाट का विकास; राजगीर प्रक्षेत्र के अंतर्गत घोड़ा–कटोरा वन पथ की मरम्मति एवं दो कॉजवे का निर्माण; माँ जानकी की जन्मस्थली, पुनौरा; हलेश्वर स्थान, सीतामढ़ी के विकास की योजनाएँ स्वीकृत हैं एवं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथों पर 50 **मार्गीय सुविधाओं** के निर्माण का लक्ष्य है। वर्ष 2010–11 में 5 स्थानों की स्वीकृति है। पर्यटक स्थलों पर **रेडियो टैक्सी** एवं वॉल्वो बसों के परिचालन की योजना एवं **गंगा पर्यटन विकास** के अंतर्गत दियारा कैम्प निर्माण

अन्तर्गत Food Hub, झूले एवं जल क्रीड़ा सुविधाओं का विकास, हरिद्वार एवं वाराणसी की तर्ज पर **गंगा आरती** की व्यवस्था एवं गंगा के विभिन्न घाटों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण प्रस्तावित है। Horticulture Tour अन्तर्गत लीची, केला एवं आम उद्यानों का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का वित्तीय वर्ष 2005–06 में योजना व्यय 9 करोड़ 13 लाख रूपये था। वर्ष 2011–12 के बजट में 58 करोड़ 16 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

6 करोड़ की लागत से **प्रेमचन्द्र रंगशाला** के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में है, जो छः माह के अंदर समर्पित कर दिया जाएगा। **रवीन्द्र भवन,** पटना के प्रेक्षागृह को वातानुकूलित एवं 600 से बढ़ाकर एक हजार बैठने की क्षमता विस्तारित करने हेतु 1.5 करोड़ रू० का अनुदान दिया गया था। रवीन्द्र भवन का औपचारिक उद्‌घाटन फरवरी, 2011 में किया जा चुका है। **विद्यापति भवन,** पटना के आधुनिकीकरण हेतु 1.5 करोड़ रूपए दिए गए हैं । पटना में 5 हजार बैठने की क्षमता के Convention Centre के निर्माण की प्रारम्भिक तैयारी हो चुकी है। **भारतीय नृत्य कला मंदिर,** पटना के पुनरूद्धार की योजना प्रस्तावित है। 'बुद्ध स्मृति पार्क' परिसर में बुद्ध विषयक **Theme Museum** "बुद्ध विहार संग्रहालय" निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

Sport Complex, कंकड़बाग, पटना में 'इंनडोर स्टेडियम' का कार्य वर्ष 2011–12 में पूरा कर लिया जाएगा। **'मुख्यमंत्री खेल विकास योजना'** के अंतर्गत 183 स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। प्रत्येक प्रखंड में 1–1 स्टेडियम निर्माण की योजना है। **मोइनुल हक स्टेडियम,** पटना के पूर्णतः आधुनिकीकरण की योजना है। इसके तहत दिवा–रात्रि खेल के लिए सम्यक् प्रकाश व्यवस्था, दर्शक–दीर्घा का आधुनिकीकरण आदि कार्य शामिल हैं।

पटना में बेली रोड के दक्षिण भाग में स्थित आवास संख्या 2 से 7 तक की भूमि पर एक **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय** के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद से मिल चुकी है। इस योजना पर 200 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2011–12 में Master Plan Consultant का चयन कर काम प्रारम्भ किया जाएगा।

वैशाली उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि–अवशेष, जो सम्प्रति पटना संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, को प्रस्तावित **बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय,** वैशाली में प्रदर्शित किया जाएगा। 2.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा भव्य संग्रहालय भवन तथा बुद्ध अवशेष स्तूप के निर्माण का डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

राजगीर में 33.57 करोड़ की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के Convention centre, विरासत संग्रहालय एवं दृश्य–श्रव्य (Light & Sound) प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

हरिहर क्षेत्र महोत्सव, कॉंवरिया उत्सव, विक्रमशिला महोत्सव एवं बिहार दिवस के अवसर पर चेन्नई, बंगलूर, दिल्ली, कोलकाता में 'बिहार–दिवस' का आयोजन किया गया है। सूफी संगीत–महोत्सव, रामायण–महोत्सव, नाट्य–महोत्सव, अखिल भारतीय चित्र प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

बिहार के विरासत के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्नयन हेतु **'बिहार विरासत विकास समिति'** का गठन किया गया है । तेलहाड़ा (नालंदा) के प्राचीन किला एवं बौद्ध विहार का उत्खनन, अंग्रेजी साहित्य के विश्वविख्यात उपन्यासकार Geroge Orwell की जन्मस्थली (मोतिहारी) के विकास एवं संरक्षण, **चिरांद (सारण)** के उत्खनन, गया के **प्रेतशिला, ब्रह्मयोनि, रामशिला** एवं **मुंगेर किला** के संरक्षण एवं उन्नयन, **गोलघर (पटना)** के संरक्षण का काम प्रक्रियाधीन है। '13वें वित्त आयोग' की अनुशंसा के आलोक में नालंदा धरोहर स्थलों के विकास तथा बिहार के 29 पुरास्थलों के संरक्षण, सौन्दर्यीकरण एवं उन्नयन के कार्य प्रस्तावित हैं।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

राज्य के सभी जिलों में आधुनिक तकनीकयुक्त 'जिला सूचना भवनों' का निर्माण 33.69 लाख रू० प्रत्येक की दर से कराया जा रहा है। 24 नवनिर्मित जिला सूचना भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है, 11 बनकर तैयार हो चुके हैं तथा पटना एवं अररिया जिला हेतु भूमि–उपलब्धता का प्रयास जारी है।

'विशेष प्रचार अभियान– हेतु वर्ष 2011–12 के लिए 7.81 करोड़ रू० का उद्व्यय निर्धारित है, जिसके माध्यम से विज्ञापन–प्रकाशन, प्रदर्शनी, रोड–शो, गीत एवं नाट्य कार्यक्रमों के

आयोजन, 'बिहार' पत्रिका (हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी) सहित अन्य विविध प्रचारात्मक साहित्य के प्रकाशन तथा होर्डिंग–फ्लैक्स के निर्माण आदि कार्य कराये जाएँगे।

'विशेष अंगीभूत योजना' के अन्तर्गत कमजोर वर्गों / नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी उपर्युक्त कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में 75.00 लाख रू० का व्यय प्रावधानित है।

सामान्य प्रशासन विभाग

आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर उच्च जातियों के कल्याणार्थ **उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग** का गठन किया गया है। राज्य महादलित आयोग के प्रतिवेदन पर **''चमार जाति''** (अनुसूचित जाति) के विकास के लिए उन्हें महादलित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। **राज्य अनुसूचित जाति आयोग** एवं **राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग** का गठन किया गया है। **कमार** (लोहार और कर्मकार), **देवहार** एवं **हलवाई** जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। राज्य महादलित आयोग द्वारा **दुसाध** (**धाढ़ी एवं धाढ़ही** सहित) की बेहतरी के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के साथ–साथ पारंपरिक व्यवसाय / कार्य संबंधी समर्पित प्रतिवेदन के अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई प्रगति पर है। बिहार में **खेल प्रतिभा** को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 22 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्तियाँ की गयी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के लिए **''जानकारी''** कॉल–सेन्टर की स्थापना की गई है, जो देश का पहला इलेक्ट्रोनिकली इनेबुल्ड सेन्टर है। इस सेन्टर में 'भारत संचार निगम लिमिटेड' के सहयोग से दो दूरभाष सं०–155310 तथा 155311 कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से आवेदक आवेदन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

'बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी' के परामर्श के आलोक में जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र निर्गत करने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण का कार्य प्रगति पर है।

'बिहार लोक सेवा आयोग' द्वारा **संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा** के पाँच सत्रों (48वीं से 52वीं) का परिणाम घोषित होने के फलस्वरूप कुल 366 पदाधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न विभागों को की गयी है।

भवन निर्माण विभाग

178 करोड़ की लागत पर **विधानसभा भवन** तथा सचिवालय विस्तारीकरण, 49.90 करोड़ की लागत से **प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान**, गया, 39.72 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना में नए भवन, 12.75 करोड़ से पटना में स्व. मौलाना मजहरूल हक, स्व. अब्दूल क्यूम अंसारी एवं स्व० गुलाम सरवर मेमोरियल भवन तथा आडिटोरियम हॉल तथा 62.23 करोड़ की लागत से जयप्रकाश नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के भवन निर्माण का कार्य चल रहा है।

पटना में 325 माननीय **विधायकों** के लिए **मॉडल आवासन** परियोजना, पटना में 5 हजार की क्षमता के वातानुकूलित ऑडिटोरियम, विभिन्न **न्यायाधिकरणों** की स्थापना हेतु बहुमंजिले भवनों की निर्माण–परियोजनाओं का काम वर्ष 2011–12 में लिया जाएगा।

खान एवं भूतत्व विभाग

राज्य–विभाजन के पश्चात् सीमित खनिज संसाधन से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है । वर्ष 2007–08 में 125 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 146.34 करोड़ रूपए, वर्ष 2008–09 में 160 करोड़ के विरूद्ध 182.22 करोड़ रूपए, वर्ष 2009–10 में 200 करोड़ के विरूद्ध 263.77 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2010–11 में जनवरी 2011 तक 174 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 183.28 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के अन्तर्गत राज्य में पहाड़ों एवं पर्यावरण तथा परिवेश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नए पत्थर खनन पट्टो की स्वीकृति तथा पुराने खनन पट्टों के नवीकरण पर रोक लगा दी गई है।

स्टील उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कोकिंग कोल (Coking Coal) का एक ब्लॉक बिहार राज्य को प्राप्त हुआ है, जो झारखण्ड के सरैया कोयलाटांड में अवस्थित है। Bihar State Mineral Development Crop. को इस ब्लॉक को विकसित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ताप विद्युत में प्रयुक्त होने वाले कोयला का एक ब्लॉक उरमा पहाड़ी टोला बिहार एवं झारखण्ड को 4:6 के अनुपात में संयुक्त रूप से आवंटित है। इसके लिए दोनो राज्यों के बीच JVC का गठन हो चुका है। पावर–प्लान्ट लगाने के

लिए स्वीकृत 5 कम्पनियों को Coal Linkage तथा 3 कम्पनियों को Coal Block आवंटित करने के लिए भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गई है।

पूर्णियाँ बेसिन के 2537 वर्ग कि०मी० तथा बेतिया बेसिन के 2227 वर्ग कि०मी० में तेल एवं प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण हेतु ONGC तथा टाटा पेट्रोडाइन को अनुज्ञप्ति दी गई है। दोनों स्थानों पर कार्य चल रहा है।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में 2007–08 से औसतन 21 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गयी है । वर्ष 2007–08 में 245.86 करोड़ (वृद्धि 21.63%), 2008–09 में 303.65 करोड़ (वृद्धि 23.50 %), 2009–10 में 372.83 करोड़ (वृद्धि 22.79%), तथा 2010–11 में जनवरी, 2011 तक 350.95 करोड़ का संग्रह हुआ है, जो जनवरी, 2010 से 19.50 प्रतिशत ज्यादा है ।

राज्य में **निबंधित वाहनों** की संख्या में वर्ष 2006–07 से 2010–11 के बीच प्रति वर्ष औसत 44.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005–06 में 80,365, वर्ष 2006–07 में 1.47 लाख (वृद्धि 83.30%), 2007–08 में 1.61 लाख (वृद्धि 9.81%), 2008–09 में 2,20,413 (वृद्धि 36.26 प्रतिशत), तथा वर्ष 2009–10 में 3.27 लाख (वृद्धि 48.55%) वाहनों की बिक्री हुई है।

राज्य के सभी **जिला परिवहन कार्यालय** (अरवल को छोड़कर) का **कम्प्यूटरीकरण** किया जा चुका है एवं इन जिलों मे निबंधन–प्रमाण–पत्र एवं चालक अनुज्ञप्ति कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से निर्गत किया जा रहा है।

वाहन कर का भुगतान स्टेट बैंक आफ इंडिया के माध्यम से **ई–पेमेंट** की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ कर दी जाएगी। अन्य बैंकों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था से वाहन–मालिक घर बैठे Net Banking/Credit card/Pre-Paid card से कर का भुगतान कर सकेंगे ।

चालक अनुज्ञप्ति (Driving License) हेतु online आवेदन देने की व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत Internet के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे एवं जाँच के लिए समय एवं तिथि कम्प्यूटर से प्राप्त कर सकेंगे।

औरंगाबाद में 15 एकड़ भूमि पर **अत्याधुनिक–चालक–प्रशिक्षण–संस्थान,** मारूति सुजूकी कम्पनी के साथ लोक–निजी–भागीदारी (PPP) मॉडल पर प्रारम्भ किया जा रहा है।

देशी **नावों के परिचालन** को विनियमित कर नौका–दुर्घटनाओं के कारण प्रति वर्ष होने वाली जान–माल की क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयोजन से **बिहार नौका नियमावली** को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 660 रद्दीकृत बसों को नीलाम किया गया है एवं एक वर्ष में 100 से अधिक बसों की मरम्मति कर उन्हें सड़क पर चलायमान किया गया है। लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत 88 बसों का परिचालन किया जा रहा है तथा 300 बसों के परिचालन हेतु एकरारनामा किया गया है, जिनका परिचालन अगले 3 माह में करने का लक्ष्य है। PPP मॉडल के ही तहत पटना नगर के Private Transport को सुदृढ़ करने हेतु 70 नगरीय बसों के परिचालन का एकरारनामा किया गया है। बाँकीपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के बस–पड़ावों के उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है तथा अन्य बस–पड़ावों को PPP मॉडल के अन्तर्गत विकसित करने हेतु Technicial Advisor का चयन किया जा चुका है।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

निबंधन प्रक्षेत्र

वर्ष 2009–10 में 1000 करोड़ रू० के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 1147.95 करोड़ रू० की राजस्व प्राप्ति हुई है तथा पूर्व के वित्तीय वर्ष की तुलना में 48.89 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो एक कीर्त्तिमान है। वर्ष 2010–11 में निर्धारित लक्ष्य 1215 करोड़ की शत–प्रतिशत प्राप्ति संभावित है।

निबंधन एवं **मुद्रांक ड्यूटी** सीधे चिह्नित बैंकों में जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। संपूर्ण भारत में बिहार पहला राज्य है, जहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। जाली कोर्ट फीस स्टाम्पों की बिक्री पर कारगर रोक के उद्देश्य से पटना उच्च न्यायालय तथा कुछ जिला न्यायालयों में डाक विभाग के माध्यम से **फ्रैंकिंग मशीन** द्वारा कोर्ट फी स्टाम्पों की बिक्री की व्यवस्था लागू की गयी है। शीघ्र ही सभी न्यायालयों में यह व्यवस्था की जायेगी। इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार एक मात्र राज्य है।

राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत निबंधन व्यवस्था लागू है। सभी जिला निबंधन कार्यालयों में निबंधनार्थी जनता की सुविधा हेतु **"May I Help you" Booth** की स्थापना की गई है तथा निबंधन कार्यालयों में प्रतीक्षालय/पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

भूमि का **खेसरावार वर्गीकरण** तथा सभी तरह के पट्टों के अनिवार्य निबंधन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे करीब 100 करोड़ रूपये राजस्व वृद्धि संभावित है। राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से जी०आई०एस० आधारित (GIS based) विजुअल एम०वी०आर० तैयार कराया जा रहा है, ताकि भूमि का एम०वी०आर० में आकलित मूल्य तथा बाजार मूल्य के अंतर को कम किया जा सके।

वर्ष 1996 से 2005/06 के मैनुअल निबंधन अभिलेखों के डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जो Web आधारित होगा। इससे भूमि/सम्पत्ति पर ऋण अवभार के संबंध में ऑनलाईन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। वित्तिय वर्ष 2011–12 में निबंधन कार्यालयों के भवन/अभिलेखागार के नव निर्माण पर 202.945 लाख रूपये का व्यय प्रस्तावित है।

राज्य के उद्यमियों को बैंक ऋण लेते समय उनके द्वारा दिए गए collateral security का Mortgage कराना पड़ता है जिसपर उन्हें पुनः स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है । अतः प्रस्ताव है कि collateral security का Mortgage कराने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क को अन्य राज्य के अनुरूप सुसंगत बनाया जाएगा तथा उसकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी ।

उत्पाद एवं मद्य निषेध प्रक्षेत्र

राज्य सरकार के निर्णयानुसार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने तथा राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से 'नयी उत्पाद नीति', 1ली जुलाई, 07 से लागू की गयी है । नयी नीति के अन्तर्गत सभी प्रकार की खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती अनिवार्य रूप से लॉटरी द्वारा की जा रही है। इससे आम व्यवसाइयों के साथ–साथ बेरोगजारों को भी इस व्यवसाय से जुड़ने का मौका मिला है, साथ ही शराब व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति, खुदरा शराब का मूल्य नियंत्रण, सरकारी राजस्व में वृद्धि तथा कर अपवंचना पर नियंत्रण हुआ है।

वर्ष 2004–05 में उत्पाद राजस्व मात्र 272.53 करोड़ था, जो वर्ष 2009–10 में 4½ गुणा बढ़कर 1098.65 करोड़ हो गया है। वर्ष 2010–11 का लक्ष्य 1400 करोड़ है, जिसके विरूद्ध जनवरी, 2011 तक 940.80 करोड़ रू० संग्रह हुआ है ।

बीयर बार का वार्षिक अनुज्ञप्ति–शुल्क तथा IMFL के बोटलिंग शुल्क में वृद्धि की गई है, जिससे लगभग 20 करोड़ अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

इसके अतिरिक्त बीयर, भारत निर्मित विदेशी शराब तथा ई०एन०ए० के आयात/निर्यात शुल्क में वृद्धि करने एवं देशी/मसालेदार देशी शराब के उठाव पर संचरण शुल्क लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे लगभग 100.00 (एक सौ) करोड़ रू० अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति अनुमानित है।

पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के तहत 'संचय एवं व्यवहार' के लिए पेट्रोल कम्पनियों को उदारता से अनुज्ञप्ति दी जा रही है।

आसवनगृह एवं बोटलिंग प्लांट तथा ब्रिवरेज स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है, यथा–बगहा, किशनगंज, लौरिया, सुगौली, गोपालगंज एवं भोजपुर जिलों में उक्त प्रतिष्ठान लगाये जाने वाले हैं।

मद्य निषेध के प्रति आमजन में जागरूकता के उद्देश्य से **'मद्य निषेध–चेतना रथ'** सभी जिलों का भ्रमण कर रहा है। शराब की सभी बोतलों पर कानूनी चेतावनी **'मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'** अंकित किया जा रहा है।

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग के राजस्व में 2006–07 से लगातार चार वर्षों से 23 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की जा रही है । वर्ष 2006–07 में कर संग्रह 2950.14 करोड़ था, जो 2009–10 में बढ़कर 5532.97 करोड़ हो गया। वर्ष 2010–11 का लक्ष्य 7100 करोड़ निर्धारित है। जनवरी 2011 तक 4710.31 करोड़ की प्राप्ति हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2010 के जनवरी तक के संग्रह 3796.72 से 24.06 प्रतिशत ज्यादा है।

बीड़ी में प्रयुक्त होने वाले **तम्बाकू** को प्रवेश कर से तथा **पीतल** एवं **बेल** मेटल से बने घरेलू उपयोग के बरतन को वैट से विमुक्ति प्रदान किया गया है।

किरासन तेल पर कर–दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

चालीस लाख तक के वार्षिक सकल आवर्त्त वाले व्यवसायियों को **लघु करदाता कर योजना** के तहत एक मुश्त अथवा दो किस्त में कुल रू0 10,000/–(दस हजार) प्रति वर्ष कर–भुगतान की सुविधा एवं वर्ष में केवल एक ही विवरणी दाखिल करने का प्रावधान किया गया है।

जेनेरेटर या कैपटिव पॉवर प्लान्ट से केवल स्वयं के इस्तेमाल हेतु उत्पादित ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की देयता से विमुक्ति प्रदान की गई है।

डी०टी०एच० के प्रत्येक संबंधन के लिए सकल संग्रहण के पन्द्रह प्रतिशत प्रतिमाह की दर से मनोरंजन कर की देयता का प्रावधान किया गया है।

राज्य के सीमावर्त्ती स्थानों में छः **चेक पोस्ट** यथा डोभी (गया), रजौली (नवादा), जलालपुर (गोपालगंज), मोहनिया (कैमूर), दालकोला (पूर्णियॉ) तथा सोहनीपट्टी (बक्सर) में चेक–पोस्ट स्थापित करने हेतु अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वाणिज्य–कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' के अधीन रू० 51.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विभाग में ई–गर्वनेन्स पर कार्य प्रगति में है।

राज्य के सिनेमा घरों को Maintenance fee लगाने का अधिकार दिया गया है।

अब मैं कुछ नए प्रस्ताव लेता हूँ,

वैधानिक प्रपत्र 'F' तथा 'C' एवं प्रपत्र डी-9 को online निर्गत करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे website के माध्यम से घर बैठे प्रपत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।

E-payment के लिए स्टेट बैंक के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक को भी प्राधिकृत किया गया है। Payment-Gateway तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी बैंक के खाताधारी को E-payment में कठिनाई नहीं हो।

Centralised Registration Unit (केन्द्रीय निबंधन इकाई) की व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी अंचल में निबंधन हेतु केन्द्रीय रूप से एक स्थान पर आवेदन दिया जा सके एवं वहीं से निबंधन प्रमाण–पत्र E-registration पद्धति से प्राप्त हो सके।

10 लाख से अधिक कर भुगतान करने वाले व्यवसायियों के लिए 15 जुलाई, 2010 से E-return अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 2011 से 1 लाख से अधिक कर भुगतान करने वाले सभी व्यवसायियों के लिए E-return अनिवार्य किया जाएगा। विवरणी (Return) को सरल बनाया जा रहा है तथा अलग–अलग श्रेणी के डीलर के लिए अलग–अलग तिथि तय की जा रही है, ताकि आखिरी दिन के बोझ को कम किया जा सके।

On line-Refund की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक इकाईयों को प्रतिपूर्त्ति की राशि Revolving fund के माध्यम से सीधे व्यवसायी के बैंक खाते में जमा करने की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।

Audit तथा Scruitiny की जटिलता एवं डीलरों को हो रही कठिनाई को देखते हुए एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गयी थी। इस समिति की Report के आधार पर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाया जाएगा।

कार्य संवेदकों (Work Contractor) के लिए समाहितीकरण की योजना तैयार की जा रही है, जिससे अधिकांश कार्य संवेदकों को विभाग की स्क्रूटनी एवं ऑडिट जैसी अनेक प्रक्रियाओं से परेशानी नहीं होगी तथा उनका working capital block नहीं होगा।

Entry tax की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है, ताकि अधिकांश व्यवसायी प्रवेश कर तथा वैट के समंजन हेतु वांछित लेखाकंन से छुटकारा मिल सके।

वर्त्तमान में पेशा कर (Profession Tax) नगर निकाय द्वारा अधिरोपित किया जाता है एवं इससे नगण्य राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। अन्य राज्यों के समान इसे वाणिज्यकर विभाग द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है एवं इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है।

दलसिंहसराय के व्यवसायियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस अंचल को पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

Bone Mill को जैविक खाद की श्रेणी के अनुरूप कर मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।

धान, चावल, गेहूँ, आटा, मैदा सूजी सहित खाद्यान्न (Food Grains) को कर–मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।

ईंट भट्ठों के लिये समाहितीकरण (Compounding) योजना लागू है, जिसकी दरों को बढ़ाया जाएगा।

संविदा में भाग लेने के लिए वाणिज्य–कर विभाग से निबन्धन एवं No Objection Certificate (NOC) की बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। सफल संवेदक को ही Work Order के पूर्व निबंधन की बाध्यता रहेगी।

'Check Post Authority, अधिनियम' लाया जा रहा है, जिसके द्वारा राज्य के सभी चेक–पोस्ट इस प्राधिकार द्वारा प्रशासित होंगे। डोभी (गया) तथा रजौली (नवादा) के चेकपोस्ट अप्रैल, 2011 से काम करना प्रारम्भ कर देंगे।

महोदय,

अब मैं राज्य के आय एवं व्यय के आँकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा :–

राज्य का अपने स्रोतों से राजस्व लगभग **15,568.84** करोड़ रूपये सम्भावित है, जिसमें से कर राजस्व 12,582.90 करोड़ रूपये तथा कर भिन्न राजस्व 2,985.94 करोड़ रूपये है। वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य का कर राजस्व 10,579.18 करोड़ रूपये तथा कर भिन्न राजस्व 1259.43 करोड़ रूपये, कुल राजस्व 11,838.61 करोड़ रूपये था। वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनवरी, 2011 तक वाणिज्य–कर विभाग द्वारा 4,708.13 करोड़ रूपये, उत्पाद विभाग द्वारा 940.80 करोड़ रूपये, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में 854.78 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग में 350.95 करोड़ रूपये एवं कर भिन्न राजस्व में खनन एवं भू–तत्व विभाग द्वारा 218.20 करोड़ रूपये की वसूली की गई है।

वर्ष 2011–12 में राज्य को विभिन्न योजनाओं में **सहायक अनुदान** के रूप में केन्द्र सरकार से लगभग **13,670.63** करोड़ रूपये की प्राप्ति सम्भावित है। इसमें गैर योजना मद में 1,427.32 करोड़ रूपये, राज्य योजनागत स्कीमों के लिये 8,904.85 करोड़ रूपये, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये 3,192.17 करोड़ रूपये तथा केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये लगभग 146.29 करोड़ रूपये शामिल हैं।

वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) के लिए अनुदान 823.32 करोड़, सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण के लिए 94.00 करोड़, जल प्रक्षेत्र के लिए 76.00 करोड़, न्यायिक कार्य के लिए 76.99 करोड़, राज्य सांख्यिकी प्रणाली के लिए 7.60 करोड़, क्षमता–निर्माण के लिए 5.00 करोड़, आपदा–राहत–निधि में 263.41 करोड़, पुलिस बल का आधुनिकीकरण 81.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

राज्य योजना के लिये केन्द्रीय अनुदान के रूप में चिह्नित राशि 8904.85 करोड़ रूपये के अन्तर्गत कर्णांकित योजनायें है : पिछड़ा क्षेत्र/जिला निधि कार्यक्रम (राष्ट्रीय सम विकास योजना सहित) (3678.00 करोड़), राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना (479.58 करोड़), सामान्य केन्द्रीय सहायता (1130.70 करोड़), त्वरित सिंचाई लाभ योजना (700.00 करोड़), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (747.38 करोड़), राष्ट्रीय

कृषि विकास योजना (525.00 करोड़), सड़क और पुल (60.32 करोड़), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (52.65 करोड़), एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (48.00 करोड़), ई–प्रशासन (30.51 करोड़), अनुसूचित जनजाति उप योजना (10.60 करोड़), संविधान के अनुच्छेद 275(1) (9.59 करोड़), वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में विशिष्ट कार्य (461.25 करोड़), प्रारंम्भिक शिक्षा (699.00 करोड़), बाह्य संपोषित परियोजना (174.63 करोड़), यू०आई०डी० कार्यक्रम (73.84 करोड़), जिला नवाचार निधि (19.00 करोड़), वनो का अनुरक्षण (04.80 करोड़) ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत स्कीमों के अनुदान मद में कुल 3822 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत चयनित योजनाएँ हैं : सामान्य शिक्षा एवं अन्य प्रौढ़ शिक्षा (900 करोड़), बाल कल्याण (795.77 करोड़), अल्पसंख्यक कल्याण (460.00 करोड़), सामाजिक सुरक्षा कल्याण (387.93 करोड़), परिवार कल्याण (336.75 करोड़), जनगणना तथा सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी (82.30 करोड़), कृषि कार्य (75.75 करोड़), अनुसूचित जाति/जनजाति जातियों/पिछड़ी जातियों के कल्याण (55.81 करोड़), पशुपालन (33.61 करोड़), माध्यमिक शिक्षा (17.11 करोड़), मत्स्य (17.37 करोड़), श्रम, प्रशिक्षण तथा रोजगार (8.31 करोड़), न्यायिक भवनों (5.52 करोड़), वन विभाग (5.40 करोड़), विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी (3.00 करोड़), त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (2.50 करोड़), कला संस्कृति एवं खेलकूद (2.05 करोड़), आर्थिक महत्व की सड़कों (2.00 करोड़) एवं बाढ़ नियंत्रण (1.00 करोड़) ।

केन्द्रीय योजनान्तर्गत स्कीमों के अनुदान मद में कुल 146.29 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण हेतु 75.00 करोड़, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु 40.00 करोड़, अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु 20.00 करोड़, कृषि कार्य के लिए 8.00 करोड़, जनगणना सर्वेक्षण और कार्य के लिए 3.29 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल **9088.89** करोड़ रूपये के **ऋण** लेना प्रावधानित है। इसमें से केन्द्र सरकार से मात्र 2375.90 करोड़ रूपये प्राप्त होगा, जो वाह्य संपोषित परियोजना के लिए है, जबकि वर्ष 2010–11 में पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल 7336.64 करोड़ रूपये ऋण प्रस्तावित है। 'बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006' के आलोक में राजकोषीय सुधार पथ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक अधिसीमित

किया जाना है । वित्तीय वर्ष 2011–12 में 2010–11 की तुलना में 1752.25 करोड़ रूपये अधिक ऋण लिया जाना प्रस्तावित है ।

- **राज्य के व्यय** को मुख्यतः तीन श्रेणी, यथा– सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवाओं के रूप में लेखांकित किया जाता है ।

- **आर्थिक सेवाओं** के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप, ग्रामीण विकास, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग व खनिज, पथ, परिवहन आदि प्रक्षेत्र हैं। इन सेवाओं के लिये वर्ष 2011–12 में 19524.34 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ऋण एवं अग्रिम देने के लिए 1036.60 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

- **सामाजिक सेवाओं** के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेय जल आपूर्त्ति एवं सफाई, आवास और शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, श्रमिक कल्याण, समाज कल्याण आदि प्रक्षेत्र हैं। इन सेवाओं के लिये वर्ष 2011–12 में 22104.46 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- **सामान्य सेवाओं** के अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद्, न्याय प्रशासन, चुनाव, राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग, सूद, पेंशन, लोक सेवा आयोग, सचिवालय, जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण कार्य इत्यादि पर होने वाले व्यय को रखा जाता है। इन सेवाओं के लिए वर्ष 2011–12 में 20018.48 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अब मैं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमानों तथा अगले वित्तीय वर्ष 2011–2012 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

- वर्ष 2011–12 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 56,205.66 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2010–11 का पुनरीक्षित अनुमान 46,343.77 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 98,61.89 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक प्राप्त होगा ।

- वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियाँ 8,500.76 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 9,106.98 करोड़ रूपये प्राप्त होना संभावित है, जो वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 606.22 करोड़ रूपये अधिक होगा। पूंजीगत प्राप्ति में ऋण की राशि भी सम्मिलित रहती है।

- वर्ष 2010–2011 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में राजस्व व्यय 43,942.72 करोड़ रूपये आंकी गई थी। वर्ष 2011–12 में राजस्व व्यय 49,933.56 करोड़ रूपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,990.84 करोड़ रूपये अधिक है ।

- वर्ष 2010–2011 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय(ऋण सहित) 14,524.15 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि वर्ष 2011–2012 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय(ऋण सहित) 15,392.31 करोड़ रूपये है। वर्ष 2011–12 में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) पिछले वर्ष की तुलना में 868.16 करोड़ रूपये अधिक है।

- राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2010–2011 का पुनरीक्षित बजट अनुमान 58,466.87 करोड़ रूपये का है। वर्ष 2011–2012 में 65,325.87 करोड़ रूपये का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय होने का अनुमान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,859 करोड़ रूपये अधिक है ।

- वर्ष 2011–2012 में राज्य की वार्षिक योजना **24,000** करोड़ रूपये की है। योजना उद्व्यय के अनुरूप 24,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत 3502.92 करोड़ रूपये का व्यय होना प्रस्तावित है।

आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र. स.	विवरण	2010–11 का पुनरीक्षित प्राक्कलन	2011–12 का बजट प्राक्कलन
1	2	3	4
1.	कुल राजस्व प्राप्ति (2+3)	46343.77	56205.86
2.	राज्य सरकार का राजस्व	11838.61	15568.84
3.	केन्द्र से प्राप्त राजस्व	34505.16	40637.02
4.	राजस्व व्यय	43942.72	49933.56
5.	राजस्व बचत (+)/घाटा(–)(1–4)	2401.05	6272.30
6.	पूंजीगत व्यय (ऋण छोड़कर)	11128.09	12466.33
7.	कुल व्यय (ऋण छोड़कर) (4+6)	55070.81	62399.89
8.	राजकोषीय बचत (+)/घाटा(–)(5–6)	–8727.04	–6194.03
9.	ऋण अदायगी	2211.94	2907.89
10.	कुल राशि की आवश्यकता (9–8)	10938.98	9101.92
11.	ऋण उगाही	7336.64	9088.89
12.	लोक लेखा से प्राप्ति (निवल)	353.04	127.16

वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूंजीगत व्यय 12,466.33 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, जो वित्तीय वर्ष 2010–11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 1,338.24 करोड़ रूपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 9,088.89 करोड़ रूपये का ऋण लिया जाना होगा, जिसमें से 2,907.89 करोड़ रूपये की राशि पुराने ऋणों की अदायगी के लिए व्यय होगी और शेष राशि पूंजीगत व्यय के वहन करने के लिए उपयोग की जायेगी।

वित्त विधेयक

राज्य में वैट की दरों में दिनांक–01.04.2006 के बाद कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया गया है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति में इस बिन्दु पर आम सहमति बनी कि ऐसी वस्तुएँ जिन पर वर्त्तमान में 4 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित है, उनपर कर की दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाय। इसी आलोक में अनेक राज्यों द्वारा वैट की दरों में वृद्धि की गई है।

अतः जिन वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत है उसको बढ़ाकर 5 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी इन वस्तुओं पर कर की दरों को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया है। **परन्तु कर की इस प्रस्तावित वृद्धि से कोयला, लोहा, कपास, तिलहन, चीनी जैसे वस्तुओं को अलग रखा गया है।**

राज्य में सम्प्रति मोटर वाहन, टेलीविजन, फ्रिज, सौन्दर्य–प्रसाधन, जर्दा/सिगरेट, सिमेन्ट, साबुन, डिटरजेन्ट, टूथ पेस्ट/टूथ ब्रश, बिजली के घरेलू उपयोग की वस्तुओं फर्निचर जैसे वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर अधिरोपित है एवं इन वस्तुओं पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इन वस्तुओं की कर की दरों में वृद्धि करते हुए उन्हें 13.5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक के बीच किया है।

कर दरों में प्रस्तावित वृद्धि से लगभग रूपया 450 करोड़ की अतिरिक्त राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभावना है।

वर्तमान में राज्य में विलासिता कर ऐसे होटलों पर अधिरोपित है जिनमें प्रतिदिन कमरे का किराया रूपया 500 से अधिक है। विलासिता कर के दायरे को विस्तारित करते हुए इसमें कॉमर्शियल हॉल को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। बिहार होटलों में विलास वस्तु काराधान अधिनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधनों के कारण अब होटलों अथवा अन्य किसी हॉल या कमरे में या खुले स्थान, पर आयोजित कान्फ्रेंस, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विवाह जैसे आयोजनों हेतु प्रयोग किए जा रहे हॉल आदि पर भी 10 प्रतिशत की दर से विलासिता कर अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव है। इस कारण प्रथम वर्ष में रूपया 1 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति में VAT दरों में वृद्धि पर आम सहमति के आलोक में बिहार में भी कर–दर बढ़ाये जाने का प्रस्ताव :–

- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 में संशोधन।
- संशोधन के कारण अधिनियम के अनुसूची 3 में उल्लेखित वस्तुओं के कर दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है।

- कोयला, लोहा, कपास, तिलहन, चीनी जैसे वस्तुओं पर कर दर में कोई वृद्धि नहीं है।

- संशोधन के कारण अधिनियम की अनुसूची 4 में उल्लेखित वस्तुओं के कर–दर को 12.5 से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- कर–दरों में प्रस्तावित वृद्धि से प्राक्कलित अतिरिक्त राजस्व 450 करोड़ प्रतिवर्ष है।

- होटलों अथवा अन्य किसी हॉल या खुले स्थान पर आयोजित कान्फ्रेंस, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विवाह जैसे आयोजनों, के लिए प्रयुक्त हॉल आदि पर भी 10 प्रतिशत की दर से विलासिता कर अधिरोपण का प्रस्ताव है।

- विलासिता कर में संशोधन के कारण रूपया 1 करो़ड़ का अतिरिक्त राजस्व प्रथम वर्ष में प्राक्कलित है।

निजी वाहनों के कर की दर में वृद्धि

दस वर्ष पूर्व वित्त विधेयक 2001 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सम्प्रति राज्य में निजी वाहनों पर उनके बिक्री कर रहित क्रय मूल्य का 3% की दर से एक मुश्त कर अधिरोपित किया जाता है। विगत 10 वर्षों में इस दर में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यह दर पड़ोसी तथा अन्य प्रमुख राज्यों में सम्प्रति प्रभावी दर से काफी कम है। उत्तर प्रदेश में 5 से 7 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 5 से 16 प्रतिशत तामिलनाडु में 8 से 10 प्रतिशत तथा कर्नाटक में 10 से 14 प्रतिशत की दर से निजी वाहनों पर एकमुश्त करारोपण किया जा रहा है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में निबंधित होने वाले निजी वाहनों पर उनके विक्री कर रहित मूल्य का 5 प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर अधिरोपित करने का प्रस्ताव है। निजी वाहनों के कर में उपर्युक्त वृद्धि से लगभग रू० 40 करोड़ वार्षिक अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

मालवाहकों के कर में कमी तथा युक्तीकरण

सम्प्रति मालवाहकों पर उनकी निबंधित लदान क्षमता के आधार पर भिन्न–भिन्न दर से कर एवं अतिरिक्त कर अधिरोपित किये जाते है। कर ढाँचे को सरल बनाते हुए 3000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान क्षमता वाले छोटे मालवाहकों पर दस वर्षों एवं तत्पश्चात् 5–5 वर्षों की

अवधि के लिए एक मुश्त करारोपण का प्रस्ताव है। इससे छोटे परिवहन व्यावसायियों को काफी सुविधा होगी, साथ ही कर बकाया रहने की संभावना समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में **छोटे मालवाहकों पर एकमुश्त करारोपण की** व्यवस्था लागू है। एकमुश्त करारोपण से वर्ष 2011–12 में लगभग रू० 24 करोड़ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति संभावित है।

राज्य में बड़े मालवाहकों पर प्रभावी कर का दर पड़ोसी एवं अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में अधिक है । इससे राज्य में ट्रकों के निबंधन में वृद्धि प्रभावित हो रही है। जिन राज्यों में कर का दर कम है, जैसे– हरियाणा, नागालैण्ड, वहाँ ट्रकों की संख्या काफी अधिक है। नागालैंड जैसे छोटे राज्य में प्रति हजार की आबादी पर ट्रकों की संख्या–23.69 है जबकि बिहार में यह मात्र 0.60 है।

यदि बिहार में भारी मालवाहकों पर कर अन्य राज्यों की तुलना में कम किया जाय तो उनके निबंधन में वृद्धि होगी, जिससे दर कम होते हुए भी कर के रूप में अधिक राजस्व प्राप्ति होगी तथा नेशनल परमिट के तहत अधिक संख्या में प्राधिकार पत्र निर्गत किये जा सकेंगे, फलस्वरूप केन्द्र से समेकित शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाला राजस्व भी बढेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में 3001 कि०ग्रा० से 16001 कि०ग्रा० तक, 16001 कि०ग्रा० से 24000 कि०ग्रा० तक तथा 24000 कि०ग्रा० से अधिक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर क्रमशः 700/– रू०, 600/– रू० एवं 500/– रू० प्रति टन अथवा अंश की दर से कर अधिरोपित करने का प्रस्ताव है।

महोदय,

बिहार को विकास के इस मुकाम तक पहुँचाना आसान नहीं था। केन्द्र का असहयोग, प्रकृति की मार, जर्जर शासन–व्यवस्था, निराशा का माहौल – इन सबसे निकलकर बिहार अपने पुराने गौरव की ओर लौट रहा है। छठी शताब्दी का नालंदा विश्वविद्यालय फिर से एशियाई देशों के पुनर्जागरण केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बिहार का अनुसरण देश के अन्य राज्य भी करने लगे हैं। मुख्यमंत्री और राज्य को पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। परन्तु हम किसी भ्रम में नहीं हैं। अभी भी हम विकास के अधिकांश मानकों पर काफी पीछे हैं। परन्तु अब बिहार की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, बिहार का कोई मजाक नहीं उड़ा

सकता। बिहारियों को कोई अपमानित नहीं कर सकता। बिहार प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। पुनः पाँच वर्ष सेवा करने का जो अवसर जनता ने दिया है, उसके अनुरूप काम करेंगे। लम्बी दूरी तय करनी है, लेकिन सफर शुरू हो चुका है–

''दिन बहारों के खुशी के आ गये हैं,
हर तरफ खुशबू नई बिखरा गये हैं।
जो अंधेरों में भटकते फिर रहे थे,
वे उजाले में सुबह के आ गये हैं।।''

''जमीन बदलेगी और आसमान बदलेगा
किसे खबर थी-यूँ सारा जहान बदलेगा''

–इन शब्दों के साथ मैं वर्ष 2011–12 की वार्षिक वित्तीय विवरणी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। संबंधित अनुदान की माँगे एवं अन्य बजट–दस्तावेजों को माननीय सदस्यों के समक्ष परिचारित कर रहा हूँ।

जय बिहार !   जय भारत !!   वंदे मातरम् !!!